महामारी का संकट

अनसुनी जमीनी कहानियाँ

रिसर्च गाइड:
एवीटा दास & विजयन एम जे

लेखक:
अक्षरा

सम्पादन:
रितुपर्णा सेनगुप्ता

डिजाइन और कवर पृष्ठ चित्रण:
रवि कुमार कावड़े

अनुवादन :
अंशुल राय

फ़रवरी 2024

यह रिपोर्ट **हाकर्स जॉइन्ट एक्शन कमिटी** के सहयोग से तैयार की गई है

प्रकाशन:
पीपुल्स कमिशन एण्ड पब्लिक इंक्वायरी कमिटी

Perils of Pandemic: Unheard stories from the streets © 2024 by People's Commission and Public Inquiry Committee is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

अभीस्वीकृति

पिछले दो वर्षों में, पीपुल्स कमीशन एंड पब्लिक इंक्वायरी कमेटी (पीसी-पीआईसी) की साझेदारी ने भारत में महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच सच्चाई, जवाबदेही और न्याय का दृढ़ता से पालन किया है। हमारे प्रयासों का केंद्र बिंदु महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन से प्रभावित व्यक्तियों की आवाज़ और कहानियों को आगे ले जाना रहा है। हमारे सामूहिक अधिदेश का उद्देश्य नागरिक चर्चा को पुनर्जीवित करना और अन्याय की आलोचनात्मक रूप से जांच को प्रेरित करना है, विशेष रूप से समुदायों पर मृत्यु, ऋण और संकट के गहरे प्रभावों की ओर ध्यान केंद्रित करना है।

पीसी-पीआईसी ने भारत के विभिन्न हिस्सों, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में विभिन्न समुदायों के साथ कई सार्वजनिक सुनवाई आयोजित कीं। दिल्ली में, सड़क विक्रेताओं की ओर से सार्वजनिक सुनवाई की काफी मांग थी। परिणामस्वरूप, हमारी पहल जुलाई-अगस्त 2023 में सामने आई, जिसमें उनके जीवन पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई।

हम उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने एकजुटता के साथ सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने और इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में उदारतापूर्वक हमारा समर्थन किया।

यह हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी (एचजेएसी) और पीसी-पीआईसी का एक साथ सहयोग के साथ किया गया अध्ययन है और एचजेएसी और पीसी-पीआईसी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई जांच की एक श्रृंखला का परिणाम है। हम इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण घटना को साकार करने में उनके समर्पण और समर्थन के लिए पूरी एचजेएसी टीम को धन्यवाद देते हैं। उनकी प्रतिबद्धता ने यह सुनिश्चित किया कि स्ट्रीट वेंडरों की आवाज़ पूरी सुनवाई के दौरान प्रभावी ढंग से गूंजती रहे, जो इस प्रयास में उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करती है।

हम उन वॉलिंटियर्स के प्रति भी सराहना व्यक्त करते हैं जिन्होंने जवाबदेही और न्याय को मजबूत करने में एक साथ हाथ मिलाया और समय निकालकर व्यापक क्षेत्र दौरे किए और लोगों की सच्चाई को लेकर आए । इन कार्यवाहियों की सफलता सुनिश्चित करने में उनका परिश्रम और जुनून महत्वपूर्ण था।

पीपुल्स कमिश्नरों के विशेषज्ञ पैनल को उनकी प्रतिबद्धता और व्यावहारिक सुझावों और सिफारिशों के लिए विशेष धन्यवाद।

अंत में, हम सड़क विक्रेताओं के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सामूहिक सत्य और परिप्रेक्ष्य को साझा करने, सरकार के निरंतर दावों और झूठ को उजागर करने का उनका साहस। ये महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो हमारे वकालत प्रयासों और नीति अनुशंसाओं को आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करेंगे। ये साझा की गईं महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि हमारे एडवोकेसी के प्रयासों और नीतिगत सिफारिशों को आगे ले जाने में मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।

जवाबदेही की कमी और व्यक्तियों को उनके जीवित अनुभवों और यादों से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के हो रहे प्रयासों के बावजूद , हमें उम्मीद है कि हमारे सवाल उठाने और लगातार प्रयास करने से, महामारी के लोगों की जिंदगी पर लगातार पड़ रहे प्रभाव के बारे में सच्चाई की जांच करने के लिए अन्य समूह के लोग भी आगे आएंगे।

विषय - सूची

परिचय	9
जन सुनवाई की संक्षिप्त रूपरेखा	17
क्या कोविड-19 के समय बेदखल कर देना आम बात थी ?	19
बढ़ता कर्ज और जानबूझकर राज्य की लापरवाही	23
सरकार द्वारा योजनाबद्ध अत्याचार	26
संकट : हमेशा बने रहने वाली स्थिति	29
आगे क्या ?	31
लोक आयुक्तों (पीपल्स कमिशनर्स) की सिफारिशें	33
अनुलग्नक	37

पीपल्स कमिशनर्स (लोक आयुक्तों) का परिचय

इंदिरा उन्नीनायर एक वकील एवं सक्रिय कार्यकर्ता हैं | उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः समाज में हाशिये पर रह रहे समुदायों को कानूनी सहायता के माध्यम से न्यायसंगत पहल में उनका प्रतिनिधित्व करना है |

इंदु प्रकाश एक सक्रिय कार्यकर्ता एवं मानवीय अधिकारों के समर्थक हैं और वे विभिन्न सरकारी हितधारक एवं सिविल सोसाइटी संस्थाओं से जुड़े रहें हैं | साथ ही वह "सिटी मेकर्स" नामक प्रयास के प्रवर्तक एवं एक किताब जिसका शीर्षक सिटी मेकर्स है के लेखक हैं |

कुमार संभव श्रीवास्तव एक पत्रकार और लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के संस्थापक एवं दि रेपोर्टर्स कलेक्टिव के सह-संस्थापक हैं |

अभिनंदिता दयाल माथुर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की सदस्य हैं| उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए कोरोना राहत कार्यक्रम का संचालन किया था एवं पूर्व में दिल्ली सरकर के लिए सांस्कृतिक सलाहकार (Cultural Advisor) के रूप में भी काम किया है|

अखिला शिवदास एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं एवं सिविल सोसाइटी संस्थाओं और विभिन संघठनों से जुड़ी रही हैं |

राजेश उपाध्याय एक श्रम अधिकार कर्ता हैं एवं नैशनल अलायंस फॉर लेबर राइट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं |

अमृता जोहरी सतर्क नागरिक संगठन की सदस्य हैं | वह सतत ही सूचना का अधिकार (Right to information) और भोजन का अधिकार (Right to food) अभियानों से जुड़ी रही हैं और वह पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर काम करती हैं |

राजेन्द्र रवि पीपल्स रिसोर्स सेंटर के संस्थापक सदस्य हैं और पिछले तीन दशकों से शहरी राजनीति और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) के अंतरसंबंध पर शोध कर रहे हैं |

निदीस जे विलात दिल्ली स्थित पत्रकार और शोधकर्ता हैं और साथ ही वह आल इंडिया किसान सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं |

अविनाश कुमार एक लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वह सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज में एक प्रतिष्ठित फेलो हैं और वादा ना तोड़ो अभियान के राष्ट्रीय सह-संयोजक हैं।

सीमा माथुर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और दलित अधिकार कार्यकर्ता हैं। वह अंबेडकरवादी लेखक संघ की सदस्य हैं।

कोनिनिका रे नैशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की सदस्य और एक बायोमेडिकल शोधकर्ता हैं।

अरुण मोहन एक फिल्ममेकर हैं और दि मीडिया कलेक्टिव से जुड़े हुए हैं|

ज्योति लक्ष्मी सतत संपद से आती हैं और स्ट्रीट वेंडर्स और फेरीवालों के साथ उनकी समस्याओं पर काम करती हैं|

सुदरा बाबू एक सक्रिय कार्यकर्ता , शोधकर्ता एवं वर्किंग पीपल्स चार्टर के सदस्य हैं|

कार्यकारी सारांश

कोविड-19 ने चार साल पहले भारत में दस्तक दी | जब वायरस पूरे देश में कहर ढा रहा था , उसी दौरान महामारी के खराब प्रबंधन और नीतियों के लचर लागूकरण के फलस्वरूप इस स्वास्थ्य समस्या ने सामाजिक-आर्थिक आपदा का रूप ले लिया | मजदूर वर्ग और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोग इससे सबसे ज्यादा आहत हुए |

पीपल्स कमीशन और पब्लिक इनक्वायरी कमिटी (पीसी-पीआईस) द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट कालकाजी, करोल बाग एवं ज्वाला नगर में हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी (एचजेएसी) के सहयोग से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से दिल्ली में स्ट्रीट वेंडरों के आम जीवन और महामारी का उनके जीवन पर पड़ने वाले निरंतर प्रभावों का विश्लेषण करती है।

केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी सर्वसम्मति के एकतरफा लागू किया जाने पहला देशव्यापी लॉक डाउन घातक सिद्ध हुआ | सरकार द्वारा एकाएक लगाए गए बलपूर्वक लॉकडाउन ने देश में सबसे वंचित समुदाय के लोगों को अंधकार में डाल दिया , उन्हे किसी भी तरीके का मार्गदर्शन या तात्कालिक और संगठित मदद नहीं मिली जिससे कि उन्हे इस लॉकडाउन से होने वाली कठिनाई में कुछ सहायता मिल पाती | 2014 स्ट्रीट वेंडर्स ऐक्ट के अनुमान के मुताबिक शहर में तकरीबन 2.0% संख्या स्ट्रीट वेंडर्स और फेरीवालों की है | देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उनके अपरिहार्य योगदान के बावजूद, यह समुदाय भारत के संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के साथ जीने के लिए संघर्ष करता है। स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन के बावजूद, टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) के सदस्य बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि अधिनियम के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के बावजूद वे लगातार उत्पीड़न और उपेक्षा का शिकार होते हैं , और स्वयं को अपने अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ पाते हैं।

महामारी और उसके बाद लॉकडाउन ने लोगों की दुर्दशा में 10 गुना वृद्धि की जब सरकार ने कल्याणकारी व्यवस्था के बजाय पुलिस व्यवस्था में ज्यादा भरोसा दिखाया | लोकतंत्र सम्पूर्ण लॉकडाउन के घेरे में था , पुलिस और आम नागरिकों के बीच मुठभेड़ जाति-वर्ग के पक्षपात की प्रबलता के साथ दुगुनी हो गई | आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) और आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ईएसएमए) द्वारा सशक्त पुलिस बल ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को "लॉकडाउन तोड़ने वाले" और "कोरोना फैलाने वाले" के नाम से अपमानित कर अपने कृत्य को सही ठहराया और अपनी सनक को अंजाम दिया | स्ट्रीट वेंडर्स जो लॉकडाउन हटने के बाद अपने कामों पर वापस लौटे थे उन्हे फिर भी लगातार पुलिस द्वारा "कोरोना फैलाने वाले" और "अतिक्रमण करने वाले " के नाम से बुरी तरह प्रताड़ित किया गया |

स्ट्रीट वेंडर्स को अभी भी एक अलग वर्ग समुदाय की नजर से देखा जाता है | यह रिपोर्ट स्ट्रीट वेंडर्स की जातिगत संरचना की पड़ताल करती है। रिपोर्ट से हमे यह मालूम होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर दलित और पिछड़ी जाति (ओबीसी) से आते हैं उन्होंने इस महामारी के प्रभाव का सबसे ज्यादा भुगतान किया है |

कोरोना का पहला केस दर्ज होने के पाँच महीने बाद केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 जून 2019 को स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए लोन की घोषणा की | 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है , उनमे से 2.3 लाख लोगों ने तीसरी बार क्रेडिट लोन के माध्यम से पूंजी प्राप्त की | आइए हम "केंद्रीय आवास और शहरी मामलों" के मंत्रालय की 2 फरवरी 2022 की रिपोर्ट पर दोबारा गौर करते हैं , और सरकार द्वारा दिसम्बर 2023 के इस "महत्वपूर्ण पहल" से संबंधित जारी किए गए आंकड़ों की फिर से समीक्षा करते हैं | **रिपोर्ट के मुताबिक , इस योजना की घोषणा 1 जून 2020 को की गई थी , और फ़रवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार तब से "केंद्रीय आवास और शहरी मामलों" के मंत्रालय को 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने में दो साल लग गए | दिसम्बर 5 , 2023 को मंत्रालय ने बताया कि इस योजना से लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या 56.58 लाख है , और केवल दो महीने बाद ही फ़रवरी 2024 को , वित मंत्री अपने अंतरिम बजट मे यह घोषणा करती हैं कि इस योजना से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा है | यहाँ यह सवाल पूछने की जरूरत है कि ये नंबर्स कहाँ से लाए गए हैं— दो वर्षों में 2022 से 2024 के बीच 30 लाख अतिरिक्त लोग जो इस योजना से लाभान्वित हुए—खासकर तब जब सरकार को केवल स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने मे ही 2 साल लग गए जबकि इस योजना की शुरुआत हुई 2020 में | गणित कहाँ गलत बैठ रहा है , कौन झूठ बोल रहा है ? क्या वित्त मंत्री , केन्द्रीय आवास मंत्री या फिर खुद आँकड़े ही ?** अब जबकि केंद्र के चुनाव दरवाजे पर हैं , ऐसे में ये बड़े-बड़े दावे आश्चर्यजनक रूप से सामयिक हैं , लेकिन इन दावों का कोई ठोस डाटा या मजबूत आधार के साथ सत्यापन नहीं है |

सरकार जन-आधारित शासन , अपनी उपलब्धियों और स्ट्रीट वेंडर्स के बीच पीएम स्वनिधि योजना की सफलता पर अपनी बड़ाई ले रही है लेकिन जमीनी कहानियाँ एक दम अलग तस्वीर बयां करती है | महामारी को हुए चार साल होने को आए हैं लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स और उनके संघर्ष को अभी भी दरकिनार किया जा रहा है | जब सरकार कमजोर वर्गों के लोगों की देखभाल करने में असमर्थ है , तो उनके कार्यों को चुनौती देना और जो उत्तरदायी हैं उनको जिम्मेदार ठहराना आवश्यक है |

परिचय

इस बात को चार साल हो गए जब कोविड-19 पहली बार भारत में दर्ज किया गया था | 24 मार्च 2020 को कोविड-19 का पहला मामला दर्ज होने के ढाई महीने बाद , देश में विराम लग गया जब प्रधानमंत्री ने 21 दिन के कड़े देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की | चूंकि लॉकडाउन को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किया गया था , लेकिन अनपेक्षित घोषणा और निम्न स्तर की तैयारी के चलते एक स्वास्थ्य संकट ने सामाजिक- आर्थिक एवं मानवीय आपदा का रूप ले लिया|

सरकार ने लॉकडाउन के सख्त मानकों को अपनाया, यात्राओं और मानवीय गतिविधियों को कठोरता से रोक दिया गया , लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उन लोगों के लिए कोई भी संगठित या समयानुसार कार्य नहीं किया जो इस महामारी से अनिवार्य रूप से प्रभावित हुए थे | लोग (प्रवासी मजदूर, छात्र इत्यादि) सड़कों पर फंसे हुए थे जिनको अपने गृह राज्य लौटने के लिए कोई परिवहन व्यवस्था या सहायता नहीं मिली | मानवीय गतिविधियों और यात्राओं पर भारी प्रहार के चलते समाज के कई समुदायों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा | असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इन प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ | बार- बार लगने वाले लॉकडाउन का उन लोगों की जिंदगी पर भारी प्रभाव पड़ा जो असंगठित क्षेत्र में काम करते थे , जिसमे स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं जो प्रतिबंधों के कारण सड़क पर अपनी दुकाने नहीं लगा सके जिससे उनके पास कोई आय या बचत नहीं थी | उनका भविष्य अंधकारमय था और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि अर्थव्यवस्था मे आई अचानक गिरावट से कैसे पार पाया जाए | महामारी के चार साल बाद भी कुछ नहीं बदला है , वे महामारी के सरकरी कुप्रबंधन के नकारात्मक प्रभाव और क्रमिक लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों से लगातार जूझ रहे हैं |

स्ट्रीट वेंडर्स किस तरह से प्रभावित हुए ?

भारत में स्ट्रीट वेंडर्स मजबूत संख्या में हैं | भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी अनुमान के अनुसार, कुल शहरी अनौपचारिक रोजगार में 14% हिस्सेदारी स्ट्रीट वेंडर्स की है|[1] स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं | केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (फरवरी 2022) के अनुसार, भारत में 49.48 लाख[2] स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार , अनुमानित तौर पर दिल्ली मे तकरीबन 40000-50000[3] वेंडर्स और फेरीवाले हैं | हालांकि , दिल्ली नगर निगम द्वारा 2021 में किए गए सर्वे के अनुसार , केवल 76,301 वेंडर्स की पहचान की गई थी |

स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका बाहर निकलकर अपने सामान को बेचने पर आश्रित होती है | लेकिन महामारी के दौरान उनके पास घर के अंदर बैठने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं था खासकर लॉकडाउन के समय | संकट के इस समय में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के राहत कार्य की घोषणा नहीं की गई और अधिकतर लोगों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा | पीपल्स कमिशन एण्ड पब्लिक इंक्वायरी कमिटी (पीसी-पीआईसी) ने अपनी रिपोर्ट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) जो की दिल्ली में महामारी के नियंत्रण और लोगों की चिंताओं को सुलझाने के लिए स्वास्थ्य अधिसूचना जारी करते हैं , की पड़ताल और विश्लेषण करने पर पाया कि , किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी अधिसूचना किसी

1 https://www.iimb.ac.in/turn_turn/street-vendors-policy-support-aid-recovery-market.php#:~:text=As%20per%20government%20estimates%2C%20street,areas%20searching%20for%20economic%20opportunities

2 https://www.tribuneindia.com/news/nation/49-48-lakh-street-vendors-identified-in-india-government-366768

3 https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/mcd-to-conduct-fresh-census-of-street-hawkers-and-vendors-in-delhi-project-expected-to-take-six-months-101692641479236.html

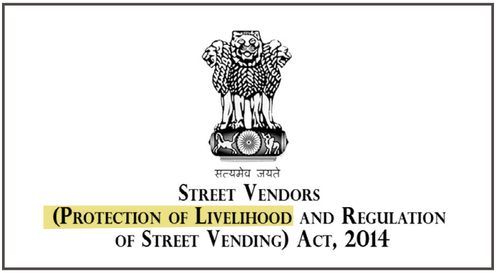

स्ट्रीट वेंडर एक्ट का शीर्षक | फोटो क्रेडिट: vivacepanaroma

भी संस्थानों द्वारा नहीं दी गई, खासकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो बिल्कुल भी नही|[4] इसके अतिरिक्त, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (आईजीएसएसएस) जिसने देशव्यापी लॉकडाउन के समय सरकार की अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए नीतियों का विश्लेषण किया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान शायद ही कोई ऐसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मदद थी जो सरकार द्वारा इन कामगारों के लिए सुनिश्चित की गई थी[5].

सरकार का स्ट्रीट वेंडर्स—एक समुदाय जो कि महामारी और फिर उसके बाद लॉकडाउन के परिणाम से दोबारा अपनी जिंदगी सुधारने का प्रयास कर रहा था के प्रति लापरवाह रवैय्या तब और उजागर हो गया जब शहर में होने वाली जी-20 समिट के लिए व्यापक रूप से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बलपूर्वक निष्कासन को रिपोर्ट किया गया[6]| इनमें से अधिकांश बेदखली वेंडर्स को कोई वैकल्पिक सहारा उपलब्ध कराए बिना की गई। खुद की सुरक्षा करने के लिए मजबूर समुदाय को अधिकारियों से कोई सहानुभूति नहीं मिली क्योंकि उनकी दुकानें

4 ttps://covidtruths.in/wp-content/uploads/2024/02/Shambolic-governance.-Unfiltered-loot-The-story-of-pandemic-governance-in-the-national-capital-documented-through-government-notifications-and-peoples-stories.pdf

5 https://almashines.s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/media/files/266_1589448571_ea890eae22012ec9a26754493b8cfacb.pdf

6 https://theprint.in/india/governance/street-vendors-face-constant-threat-of-eviction-valid-licences-law-to-protect-them-dont-help/1868601/

दिल्ली पुलिस कर्मियों का पैट्रोल ओखला सब्जी मंडी के माध्यम से, नई दिल्ली, 26 मार्च, 2020।
फोटो क्रेडिट: Biplov Bhuyan/HT फोटो

ध्वस्त कर दी गईं और उन्हें खाली करने के लिए कहा गया। ये निष्कासन G20 शिखर सम्मेलन के लिए सौंदर्यीकरण अभियान का हिस्सा थे। तोड़फोड़ और बेदखली की यह घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसी 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विक्रेताओं को झेलनी पड़ी थी।

चूंकि महामारी के दौरान ही उनकी कमाई का एकमात्र जरिया प्रभावित हो गया था इसलिए स्ट्रीट वेंडर्स को मजबूरन साहूकारों का सहारा लेना पड़ा | इसका नतीजा ये हुआ कि वे अभी भारी कर्ज में हैं | इसके अलावा उन्हे लगातार पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है | जो प्रताड़ना वो झेलते हैं वह स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 का सीधा उल्लंघन है। प्रसंगवस , इस मुआमले में स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 से अधिक महत्व रखता है----स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के अध्याय 7 (उत्पीड़न पर रोक) में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो विक्रेता वेंडिंग प्रमाणपत्र के नियमों और शर्तों का पालन करते हैं उन्हे अपनी बिक्री करने के अधिकार से किसी भी पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता|

यह अधिनियम हालांकि काफी मजबूत होते हुए भी केवल कागजों तक ही सीमित है | यह गौर करने योग्य बात है कि स्ट्रीट वेंडर्स ऐक्ट (2014) को तकरीबन एक दसक हो गया है जब सरकार ने इसे अधिनियमित किया था | एक खयाल ये भी आता है कि ऐसे ऐक्ट का क्या ही उद्देश्य है जिससे न तो वेंडर्स को कोई लाभ मिलता है और न ही वह विपदा के समय उन्हे सुरक्षित रख पाता है | जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, टाउन वेंडिंग कमिटी (टीवीसी) , एक सरकार द्वारा विनियमित संस्था है जिसका गठन वेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किया गया था स्वयं ही स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका को आश्वस्त करने में नाकाम रही और स्ट्रीट वेंडर्स लगातार दमन और व्यवस्थात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं |

स्ट्रीट वेंडर्स की यह दुर्दशा केवल दिल्ली में ही अनोखी बात नहीं है , इसी तरह के घटनाक्रम अन्य राज्यों में भी बयां किए गए हैं | वेंडर्स लगातार उत्पीड़न और गैरकानूनी निष्कासन के खिलाफ सख्त कार्यवाई और स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के लागू होने की प्रत्याशा में हैं |

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोक हितकारी योजनाएं

1 जून, 2020 को, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.ए) ने पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की, जो एक माइक्रो-क्रेडिट सुविधा है जो महामारी के मद्देनजर सड़क विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को न केवल ऋण प्रदान कर उन्हे सशक्त बनाना था बल्कि संबंधित शहरी, उप-शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उनके काम को फिर से शुरू करने में सहायता प्रदान करना था [7]| इसने एक वर्ष की अवधि के लिए बिना कोई चीज गिरवी रखे 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान की। 20,000 रुपये की दूसरी ऋण राशि और 50,000 रुपये तक का तीसरा ऋण क्रमशः 9 अप्रैल, 2021 और 1 जून, 2022 से शुरू किया गया था |.[8]

दिसंबर 2023 में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा को सूचित किया कि पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2022-23 में 1,866 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 में 4,637 करोड़, जिसमें 5 दिसंबर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम रिपोर्ट की गई तारीख है । 5 दिसंबर 2023 तक कुल राशि 9,790 करोड़ रुपये थी। उन्होंने आगे कहा कि 5 दिसंबर 2023 तक 56,58,744 स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों को योजना

7 https://www.india.gov.in/spotlight/pm-street-vendors-atmanirbhar-nidhi-pm-svanidhi

8 https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/loans-worth-rs-9790-crore-disbursed-to-street-vendors-under-pm-svanidhi-scheme-government-in-rajya-sabha/articleshow/105904085.cms?from=mdr

के तहत ऋण वितरित किया गया है[9]। उन्होंने यह भी बताया कि 45% लाभार्थी महिलाएं हैं और 72% हाशिए पर रहने वाले वर्गों से हैं.[10] इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में दावा किया कि "78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना से फायदा हुआ है और इसमें से 2.3 लाख वेंडर्स को तीसरी बार क्रेडिट मिला है।" इस प्रमुख पहल को सफल योजनाओं में से एक घोषित किया गया है जिसने स्ट्रीट वेंडरों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आइए हम "केंद्रीय आवास और शहरी मामलों" के मंत्रालय की 2 फरवरी 2022 की रिपोर्ट पर दोबारा गौर करते हैं, और सरकार द्वारा दिसम्बर 2023 से इस "महत्वपूर्ण पहल" से संबंधित जारी किए गए आंकड़ों की फिर से समीक्षा करते हैं | रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना की घोषणा 1 जून 2020 को की गई थी और फ़रवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार तब से "केंद्रीय आवास और शहरी मामलों" के मंत्रालय को 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने में दो साल लग गए | दिसम्बर 5, 2023 को मंत्रालय ने बताया कि इस योजना से लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या 56.58 लाख है, और केवल दो महीने बाद ही फ़रवरी 2024 को, वित मंत्री अपने अंतरिम बजट मे यह घोषणा करती हैं कि इस योजना से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा है | यहाँ यह सवाल पूछने की जरूरत है कि ये नंबर्स कहाँ से लाए गए हैं— दो वर्षों में 2022 से 2024 के बीच 30 लाख अतिरिक्त लोग जो इस योजना से लाभान्वित हुए—खासकर तब जब सरकार को केवल स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने मे ही 2 साल लग गए जबकि इस योजना की शुरुआत हुई 2020 में | गणित कहाँ गलत बैठ रही है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या वित मंत्री, केन्द्रीय आवास मंत्री या फिर खुद आँकड़े ही? अब जबकि केंद्र के चुनाव दरवाजे पर हैं, ऐसे में ये बड़े-बड़े दावे आश्चर्यजनक रूप से सामयिक हैं, लेकिन इन दावों का कोई ठोस डाटा या मजबूत आधार के साथ सत्यापन नहीं है |

इस योजना के बावजूद, स्ट्रीट वेंडर्स अभी भी महामारी से उन पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव की चपेट में हैं | सरकार द्वारा शुरुआत में परिस्थितियों के अप्रबंधन, लॉकडाउन के समय समुदायों की बिगड़ती स्थिति के प्रति अनदेखी और लॉकडाउन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव ने स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पर गहरा आघात किया है | जैसा की इस रिपोर्ट के साक्ष्यों से स्पष्ट है, इस महामारी में सम्पूर्ण स्ट्रीट वेंडर्स समाज को बुरी तरह प्रभावित किया है और उनमें से ज्यादातर लोग चार साल बाद भी अपने पैर जमाने में संघर्ष कर रहे हैं |

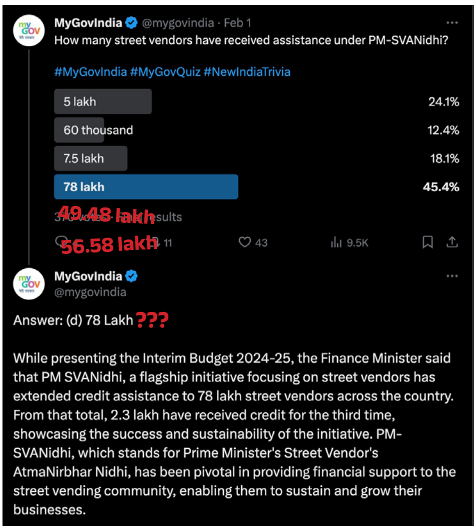

9 https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/loans-worth-rs-9790-crore-disbursed-to-street-vendors-under-pm-svanidhi-scheme-government-in-rajya-sabha/articleshow/105904085.cms?from=mdr

10 https://newsonair.gov.in/Main-News-Details.aspx?id=474242

पीएम-स्वनिधि योजना की घोषणा 1 जून 2020 को की गई थी , और फ़रवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार तब से "केंद्रीय आवास और शहरी मामलों" के मंत्रालय को 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने में दो साल लग गए | दिसम्बर 5 , 2023 को मंत्रालय ने बताया कि इस योजना से लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या 56.58 लाख है, और केवल दो महीने बाद ही फ़रवरी 2024 को , वित मंत्री अपने अंतरिम बजट मे यह घोषणा करती हैं कि इस योजना से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा है | यहाँ यह सवाल पूछने की जरूरत है कि ये नंबर्स कहाँ से लाए गए हैं— दो वर्षों में 2022 से 2024 के बीच 30 लाख अतिरिक्त लोग जो इस योजना से लाभान्वित हुए—खासकर तब जब सरकार को केवल स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने मे ही 2 साल लग गए जबकि इस योजना की शुरुआत हुई 2020 में | गणित कहाँ गलत बैठ रही है , कौन झूठ बोल रहा है ? क्या वित मंत्री , केन्द्रीय आवास मंत्री या फिर खुद आँकड़े ही ? अब जबकि केंद्र के चुनाव दरवाजे पर हैं , ऐसे में ये बड़े-बड़े दावे आश्चर्यजनक रूप से सामयिक हैं , लेकिन इन दावों का कोई ठोस डाटा या मजबूत आधार के साथ सत्यापन नहीं है |

किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है अपने लोगों की देखभाल करना और यह जिम्मेददारी संकट के समय और भी बड़ी भूमिका निभाती है | महामारी के दौरान , जब पहले से ही उतार-चढ़ाव वाला समय था , यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो यह स्वास्थ्य संकट बढ़िया तरीके से निपटाए, आम जनता में बिना किसी प्रकार की घबराहट पैदा किए | साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि लोगों को खासकर जो गरीब तबके और सबसे ज्यादा हाशिये पर रहने वाले लोग हैं उन्हे सामान्य सुविधाओं की आसान पहुँच और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ अच्छी देखभाल मिले | लेकिन इसकी जगह पर सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर बड़ी मात्रा में होने वाला भेदभाव नजर में आया ; सरकार की ओर से कमजोर समन्वय; पुलिस द्वारा उत्पीड़न में चिंताजनक वृद्धि, खासकर गरीब तबके के लोगों के प्रति ; लोगों की समस्याओं को सुनने के प्रति अवहेलना (या देरी से दी गई प्रतिक्रिया); राहत योजनाओं में देरी; इसके साथ और भी बहुत कुछ |

इस महामारी ने खुले तौर पर होने वाले व्यवस्थागत अन्याय को उजागर किया

भारत में उत्पीड़न को उचित ठहराने का एक पुराना इतिहास है, जो असंतुलित नैतिक आधारों द्वारा समर्थित है। निर्विवाद रूप से , वह लोग दलित , आदिवासी , पिछड़े समुदायों ,मुस्लिम इत्यादि होते हैं जो इस उत्पीड़न को भोगते हैं | चूंकि ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग इन्ही समुदायों से आते हैं , इसलिए वह लगातार दुर्व्यवहार और नफरत का शिकार बनते हैं | इस उत्पीड़न को लगभग अनिवार्य समझा जाता है , और इसे अच्छाई के कार्य के रूप में चित्रित किया जाता है , उदाहरणतः विकाश से संबंधित बातचीत में | इस तरीके का घटनाक्रम जो कि नया नहीं है महामारी के समय काफी तीव्रता से फैला रहा | प्रवासी और मजदूर क्षेत्र के लोगों पर पुलिस

और राज्य प्रसाशन द्वारा निर्दयता से हमला किया गया , जिन्होंने इन लोगों को “लॉकडाउन तोड़ने वाले” और “कोरोना फैलाने वाले” के नाम से संबोधित किया | इस तरह की कार्रवाईयां दर्शाती हैं कि कैसे उत्पीड़क अपने द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को ऐसे शब्दों में ढालकर उचित ठहराते हैं जिससे कि नैतिक रूप से स्वीकार्य लगे |

लॉकडाउन को थोपने के लिए पुलिस लोगों को डंडों से पीटते हुए और सड़कों पर मारते हुए नजर आई | पुलिस ने गालियों की भी बौछारें की | लॉकडाउन खुलने के बाद भी जब लोग यात्राएं करने या घूमने फिरने और अपनी दुकाने लगाने के लिए आजाद थे , इन मौकों के बाद भी ऐसे कई सारे दृष्टांत हैं जब पुलिस ने बल का उपयोग करने में हिचक नही की , और लगातार लोगों को मारते और उत्पीड़ित करते रही | जरूरत से ज्यादा पुलिसबाजी को किसका समर्थन था ? सरकार पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार पर चुप क्यों थी ? इस मामले को देखने के संबंध में कोई कार्यवाई क्यों नही की गई ?

जिन वेंडर्स का सर्वे किया गया था एवं उन्हें प्रमाणपत्र मिला था उनको बिना कोई पूर्व नोटिस के बेदखल कर दिया गया | क्यों ? क्यों उन्हे उसी प्रशासन के द्वारा उनके अपने निवास और आजीविका की जगहों से बेदखल कर दिया खासकर तब जब वो ही प्रशासन संकट के समय उनकी मदद के लिए उत्तरदायी था | इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए कौन जावबदेह है ? इस बात की पुष्टि कैसे हो कि इस प्रकार के घटनाक्रम हमारे इस प्रजातन्त्र में बिना किसी सवाल-जवाब के गायब न हो जाएँ और जो इन सब के लिए जवाबदेह है उनको जिम्मेदार ठहराया जाए |

SEEKING
TRUTH
ACCOUNTABILITY AND
JUSTICE
FOR STREET VENDORS

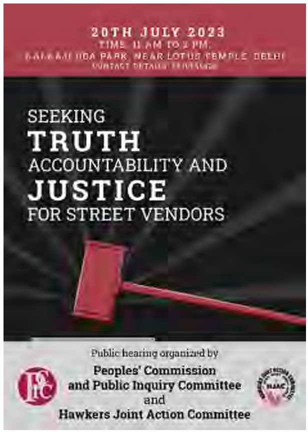
20TH JULY 2023
SEEKING
TRUTH
ACCOUNTABILITY AND
JUSTICE
FOR STREET VENDORS
Public hearing organized by
Peoples' Commission
and Public Inquiry Committee
and
Hawkers Joint Action Committee

स्ट्रीट वेंडरों के लिए सत्य,
जवाबदेही और न्याय की तलाश
WE DESERVE BETTER
PEOPLE'S RIGHT TO INVESTIGATE/ QUESTION
KEEPING ALIVE PEOPLE'S MEMORIES
स्थान -
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब,
डिप्टी स्पीकर हॉल, नई दिल्ली
दिनांक:
9 अगस्त 2023
समय:
सुबह 11 बजे से
दोपहर 2 बजे तक.

SEEKING
TRUTH
ACCOUNTABILITY AND
JUSTICE
FOR STREET VENDORS

04TH AUG. 2023
SEEKING
TRUTH
ACCOUNTABILITY AND
JUSTICE
Public hearings organised by
PEOPLES' COMMISSION AND PUBLIC INQUIRY COMMITTEE
and
HAWKERS JOINT ACTION COMMITTEE

जन सुनवाई की संक्षिप्त रूपरेखा

महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा झेली गईं परेशानियां , उसके बाद लॉकडाउन, लोगों के जीवन पर लगातार पड़ने वाले प्रभाव आदि सवालों की जांच करने और इनको प्रकाश में लाने के लिए , पीसी –पीआईसी और हाकर्स जॉइन्ट एसोसिएशन ने एक साथ मिलकर दिल्ली के कालकाजी (20 जुलाई), क़रोल बाग (28 जुलाई) , और ज्वाला नगर (4 अगस्त) में तीन स्थानीय जन सुनवाई कीं जिसमें प्रत्येक जनसुनवाई में तकरीबन 150 लोग मौजूद रहे | फेरीवालों की समयस्याओं को एकजुट होकर सुनने के लिए एक अंतिम, समापन जनसुनवाई नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में (9 अगस्त को) आयोजित की गई | पीसी-पीआईसी की रिसर्च टीम ने दिल्ली के तीन इलाकों कालकाजी (33), करोल बाग (33), और ज्वाला नगर(40) में कुल 106 स्ट्रीट वेंडर्स से बात की और उनके द्वारा मिली जानकारी को दर्ज किया गया | (अनुलग्नक 1 देखें)

जबकि तीनों जनसुनवाई में 150 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स मौजूद थे लेकिन समय की कमी के कारण प्रारम्भिक शोध के लिए केवल 90 बयान ही तैयार किए जा सके | इन बयानों के माध्यम से शिकायतों को पीसी-पीआईसी की रूपरेखा मृत्यु, कर्ज और विपत्ति की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया और इनका उपयोग डेटा के विश्लेषण हेतु किया गया | इन 90 बयानों की एक संक्षिप्त रूपरेखा ग्राफ और डेटा पॉइंट्स के रूप में नीचे प्रदर्शित की गई है | इनकी विस्तारपूर्वक जानकारी बाद में इस रिपोर्ट में देखी जा सकती है |

बयानों के आधार पर प्रदर्शित लिंग अनुपात में 80% स्ट्रीट वेंडर्स पुरुष और 20 % महिलायें हैं (चित्र 1 देखें)

चित्र.1 लिंग अनुपात

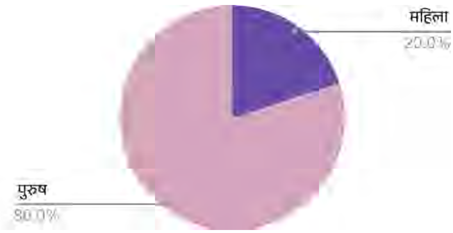

ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स (42.0%) ने जनसुनवाई के दौरान अपनी जाति के बारे में नहीं बताना चुना | 34.6% लोग ओबीसी(पिछड़ा वर्ग), 13.6%(दलित) एससी और 1.2% एसटी (आदिवासी) जबकि 8.6 % लोग सामान्य जाति से थे | (चित्र 2 देखें)

चित्र.2 जातीय संरचना

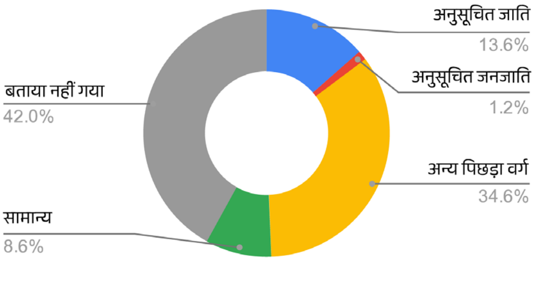

90 वेंडर्स में से लगभग 90% लोग फेरीवाले काम में संलग्न हैं | (चित्र 3 देखें)

चित्र.3 वेंडिंग के प्रकार

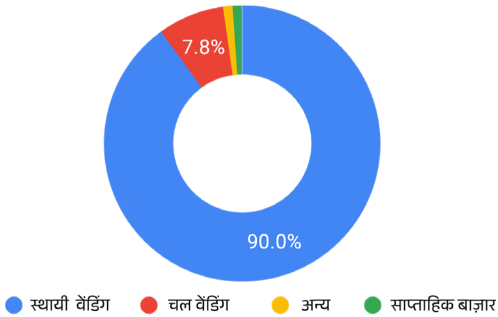

उत्तर देने वालों में से ज्यादातर लोग 16-20 साल से स्ट्रीट वेंडर्स का काम कर रहे हैं | इसमें रोचक बात यह नोट की गई कि जातिगत रचना के अनुसार 90 बयानों में से जो एसटी (दलित) समुदाय से आते हैं वो इस काम में सबसे पहले से हैं उसके बाद ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) के समुदाय का नंबर आता है | (चित्र 4 देखें)

चित्र.4 वेंडिंग करते हुए बिताए गए वर्षों की संख्या

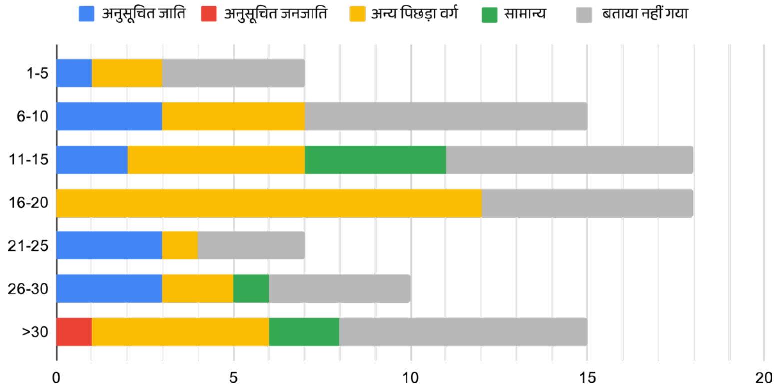

83.34% वेंडर्स ने अपनी कमाई में 50% तक की कटौती को महसूस किया, 81% वेंडर्स ने कहा कि वह इस महामारी के चलते कर्जे में चले गए |

क्या कोविड-19 के समय बेदखल कर देना आम बात थी ?

ऐसे समय में जब लोगों को घर के अंदर बने रहने और मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर निकलने के निर्देश दिए गए थे , उसी समय विकाश परियोजनाओं के बहाने देश के विभिन्न इलाकों में भारी मात्रा में निष्कासन किया गया | ये निष्कासन लोगों पर ऐसे समय में किया गया जब वे पहले से ही आजीविका के नुकसान से जूझ रहे थे और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि निष्कासन को लेकर भारत में कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है , लेकिन हाउसिंग एण्ड लेंड राइट्स नेटवर्क (एच.आर.एल.एन) की एक रिपोर्ट के अनुसार , मार्च 2020 और जुलाई 2021 के बीच 43,000 घरों को धराशायी किया गया और एनसीटी (नैशनल कैपिटल रीजन) में लगभग प्रत्येक घंटे में 21 लोगों को निष्कासन का सामना करना पड़ा | यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 2020 और 2021 के बीच में 25,00,00 से ऊपर निष्कासन की वारदातें हुई हैं | निष्कासन की ये वारदातें बिना किसी पूर्व नोटिस के पूरी की गईं , और निष्कासन के पश्चात सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हर्जाना नहीं दिया गया |हालांकि अधिकारी वर्ग ने पक्ष रखा कि केवल "अवैध अतिक्रमण" को ही तोड़ा गया है | लेकिन एचआरएलएन की रिपोर्ट से यह प्रत्यक्ष होता है कि लगभग सारे मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया , यहाँ तक कि निष्कासन से पर्याप्त समय पहले कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया | और इसके अतिरिक्त केवल एक चौथाई निष्कासित किए गए लोग ही पुनर्वासित किए गए|[11]

यह पाया गया कि 49% निष्कासन पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं को लेकर थे , जिसमें जंगल और वन्यजीव के संरक्षण का कारण बताया गया | यहाँ इस बात को जानने की जरूरत है कि पारंपरिक रूप से रह रहे वनवासी लोगों का निष्कासन वन अधिकार अधिनियम, 2006 का सीधा उल्लंघन करता है | इस बात का जिक्र पीसी-पीआईसी ने अपनी रिपोर्ट में किया है जो उन्होंने वनकर्मियों के साथ जनसुनवाई के आधार पर तैयार की है | इसी प्रकार, 2020 में अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यीकरण हेतु 73 निष्कासन संबंधी अभियान चलाए गए जिसमें 7,689 लोगों को अपने घर से बेदखल होना पड़ा , और पूरे देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करने हेतु 33 निष्कासन संबंधी अभियान चलाए गए जिसमें 8,658 लोगों को बेदखल होना पड़ा | यहाँ पर इस बात पर ध्यान

11 https://www.hlrn.org.in/documents/Forced_Evictions_2020.pdf

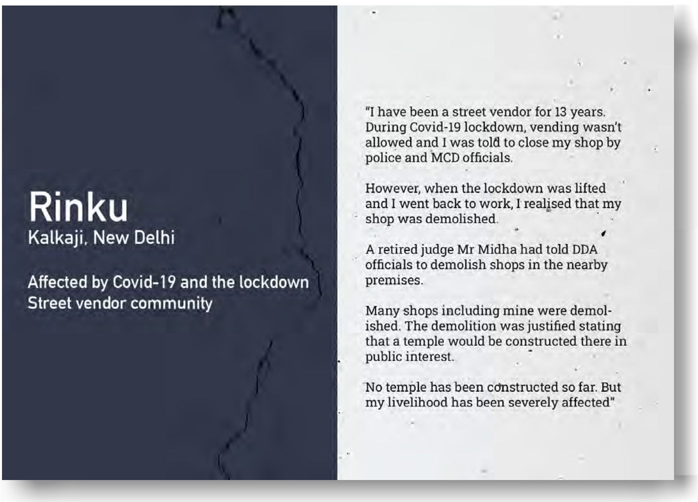

देने की जरूरत है कि ये सब तब हो रहा था जब पूरे देश भर में जन स्वास्थ्य संकट पसरा पड़ा था और लोगों को अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घरों की जरूरत थी | निष्कासित किए गए ज्यादातर लोग अनौपचारिक क्षेत्र के थे और दसकों से अपने काम की जगह पर ही रहकर जीवन-बसर कर रहे थे | अविवादित रूप से यह बात सच है कि , दलित , आदिवासी और अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों ने इन निष्कासनों से सबसे ज्यादा पीड़ा झेली |

महामारी के दौरान यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 48,000 लोगों को निष्कासित करने का फरमान जारी कर दिया जो कि दिल्ली में रेल की पटरियों के किनारे रह रहे थे | यह विशेषतः भयावह बात है कि जो लोग पहले से ही अपनी रोजी-रोटी से हाथ धो बैठे थे उन्हे न्याय व्यवस्था द्वारा बेघर भी कर दिया गया | इस आदेश को लेकर "पर्याप्त आवास" के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत श्री बालाकृष्णन राजगोपाल ने अपनी चिंताएँ जाहिर कीं | राजगोपाल ने कहा " यह कम आय वाले एवं रेल की पटरियों पर रह रहे लोगों को न्याय से इनकार करने जैसा है" | उन्होंने आगे चेतावनी दी कि कोई भी निष्कासित अगर बेघर होने की कगार पर जाता है तो यह मानव अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत भारत के दायित्वों का गंभीर उल्लंघन होगा।[12] उन्होंने सरकार से महामारी के अंत होने तक किसी भी प्रकार के निष्कासन पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया |

एक बार फिर हाशिये पर रहने वाले समुदाय को सुरक्षित रखने की अपनी जिम्मेदारी में असफल होते हुए, 2020 और 2021 में , सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गाँव के निवासियों के लिए बिना कोई पुनर्वास की व्यवस्था किए उनके निष्कासन का फरमान जारी किया | खोरी गाँव में रहने वाले अधिकतर निवासी दिल्ली और आस पास के राज्यों से आए हुए प्रवासी हैं , जो कि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं | वे पहले से ही महामारी और लॉकडाउन के कारण उनकी आजीविका में आई गिरावट से जूझ रहे थे कि वे और गरीबी की ओर धकेल दिए गए | घरों को धराशायी करने का पहला वाकया 14 सितंबर , 2020 को तब हुआ जब कोविड-19 की पहली लहर अपने चरम पर थी | 1,700 के करीब घरों को तबाह कर दिया गया |[13] इन घरों के निवासियों ने फरीदाबाद के प्राधिकारी वर्ग (हरियाणा की राज्य सरकार) से सर्वे और पुनर्वास के लिए गुहार लगाई, चूंकि इसमें राज्य से संबंधित नीति की अनदेखी की गई थी , दूसरी बार तोड़-फोड़ 2 अप्रैल , 2021 को हुई जिसमें 300 से अधिक घरों को बिना किसी पूर्व नोटिस के तबाह कर दिया गया | संयुक्त राष्ट्र ने निष्कासन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत सरकार से इसे रोकने का आह्वान किया और कहा कि लगभग 1,00,000 लोगों को बेघर करने से उन्हें वायरस से संक्रमित होने का अधिक खतरा होगा।[14]

स्ट्रीट वेंडर्स की कहानी इससे कोई अलग नहीं है | देश के अलग-अलग हिस्सों से स्ट्रीट वेंडर्स को महामारी के समय निष्कासित किया गया गया था | उन्हें अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा करने वालों की तरह देखा जाता है , उन्हें लगातार निशाना बनाया जाता है , उत्पीड़ित किया जाता है और अधिकारियों द्वारा निष्कासित किया जाता है | भले ही उनका सर्वेक्षण और उन्हें "वैध" वेंडर्स के रूप में पहचाना गया हो या नहीं , वे सतत ही उत्पीड़न और दुराचार का शिकार होते हैं | उनके लिए परिस्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए , यह पाया गया कि वेंडर्स के द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर भी उनका सर्वे ठीक तरह से नहीं किया गया | इस वजह से बड़ी संख्या में वेंडर्स की अधिकृत पहचान नहीं हो पाती और उन्हे बिना किसी दोष के निष्कासन या विस्थापन का सामना करना पड़ता है | स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के बावजूद स्ट्रीट वेंडर्स के सर्वे को नजरअंदाज किया गया जो ये कहता है कि नागरिक निकाय कानूनन हर पाँच साल में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे करने के लिए बाध्य होता है |

12 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/09/india-un-expert-raises-alarm-about-mass-evictions-delhi

13 https://thewire.in/rights/how-khori-gaon-residents-now-facing-eviction-received-no-help-during-the-pandemic

14 https://thewire.in/rights/un-rights-experts-calls-on-india-to-halt-eviction-of-khori-gaon-residents-in-haryana

सुनवाई के दौरान वेंडर्स ने जाहिर किया कि उनमे से 60 लोगों (66.67%) का सर्वे किया गया है | 11 वेंडर्स (12.22%) को सर्वे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी | 16 वेंडर्स (17.78%) का सर्वे नहीं किया गया और उन्हे उनका सर्वे न करने का कोई कारण नहीं बताया गया | 3 (3.33%) वेंडर्स ने बताया की सर्वेक्षक सर्वे पूरा किए बिना ही चले गए| (चित्र 5 देखें)

चित्र.5 स्ट्रीट वेंडर्स सर्वेक्षण की स्थिति

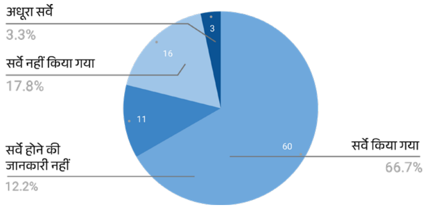

"मैं लोटस टेम्पल के पास पिछले 27 साल से स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम कर रहा हूँ| सितंबर , 2021 में,सारे स्ट्रीट वेंडर्स अपने पास वेंडिंग के लिए **जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद भी मंदिर के पुनर्विकास के नाम पर निष्कासित** कर दिए गए | हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार का पुनर्विकास कार्य नहीं हुआ है |"
– श्री प्रवीण कुमार, कालकाजी, दिल्ली के एक स्ट्रीट वेंडर।

स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने की प्रक्रिया तीव्र हो गई , चूंकि देश के विभिन भागों में जी-20 समिट के कारण बलपूर्वक निष्कासन हुए | दिल्ली में , अधिकारियों ने ग्लोबल समिट की तैयारियों में अपना पूरा ध्यान राजधानी को सजाने में लगाया , जबकि स्ट्रीट वेंडर्स जो तकलीफें झेल रहे थे उनकी तरफ मुहँ मोड़ लिया और जानबूझकर पूरे शहर में निष्कासन अभियान चलाकर उनकी विपदा को और बढ़ाने का काम किया | वेंडर्स द्वारा लगाई गई दुकानों को अधिकारियों ने तुरंत हटवा दिया और इससे हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हे कोई सहायता या हर्जाना प्राप्त नहीं हुआ | अधिकारी यह दावा करते हैं कि केवल "अवैध" वेंडर्स को ही हटाया गया था , जबकि यह बात जल्दी ही साफ हो गई कि जिनके पास वेंडिंग के सर्टिफिकेट (सीओवी) थे उनको भी अधिकारियों द्वारा हटाया गया था | कई सारी रेपोर्ट्स में यह बताया गया है जब वेंडर्स जिनके पास जरूरी दस्तावेज थे उन्होंने इस अवैध निष्कासन पर सवाल उठाया तो उन्हे नजरंदाज कर दिया गया | इसके अतिरिक्त , दिल्ली में , निष्कासन के बाद , जो वेंडर्स यमुना के पास से थे उन्हे जी-20 तक गुप्त रहने के लिए बोला गया | 12 वेंडर्स का यह आरोप है कि अगर उन्होंने दुकानें लगाईं भी तो अधिकारियों ने उन्हें तुरंत हटा दिया।

वेंडर्स ने बताया कि उनके पास वेंडिंग का सर्टिफिकेट होने के बाद भी जी-20 समिट के 2 महीने पहले से ही अपने काम को करने की अनुमति नहीं थी | जुलाई 2023 को , वेंडर्स के एक समूह ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा पारित किए गए निष्कासन के आदेश को चुनौती देते हुए , दिल्ली हाईकोर्ट को गुहार लगाई तो उन्हे अपने वेंडिंग का काम 6 सितंबर तक जारी रखने की अनुमति मिल गई | कोर्ट के निर्देशन के बाद भी , वेंडर्स को अपनी आजीविका चलाने से रोका गया क्योंकि अधिकारियों ने जी-20 समिट के समापन के एक हफ्ते बाद तक वेंडिंग के काम की अनुमति नहीं दी | 13 वेंडर्स के पास नागरिक निकाय द्वारा जारी वैध लाइसेन्स होने पर भी उन्हे सहायता के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता है क्योंकि उनकी आजीविका पर आए दिन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों द्वारा रोक लगा दी जाती है |

सुनवाई के दौरान लिए गए 90 बयानों मे से यह बात सामने आई कि 56 वेंडर्स (62%) को कम से कम एक बार तो अपने काम की जगह से निष्कासन झेलना पड़ा जब से महामारी शुरू हुई है | (चित्र 6 देखें)

चित्र.6 2020 से 2023 तक कितनी बार बेदखली हुई?

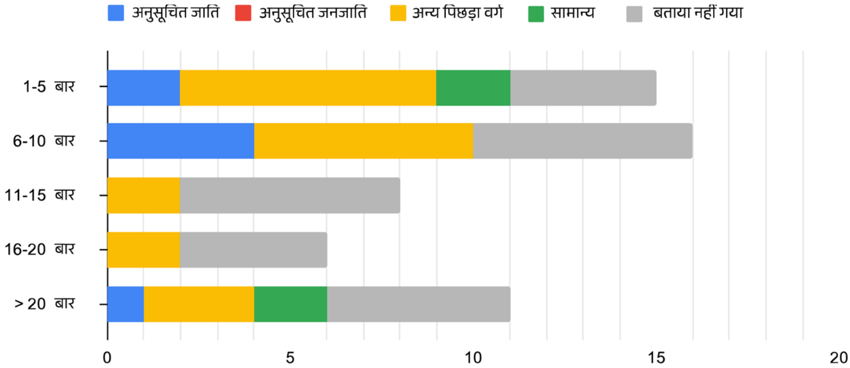

जी-20 से संबंधित निष्कासन उन वेंडर्स के पहले से बिगड़े हालत पर एक और झटका था जो अभी भी महामारी की मार से निकल रहे थे , और कम हुई आमदनी और अस्थिर आजीविका से जूझ रहे थे | अधिकारियों की असंवेदनशील कार्रवाई जो हर वक्त उनकी जिंदगी को अस्थिर करने की ताक में रहते हैं शायद वेंडर्स के लिए सबसे बड़ी बाधा है |

बिना कोई राहत के लगातार उत्पीड़न , हमेशा निष्कासन की धमकी , सर्वे में देरी , बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अधिकारियों का पक्के ढंग से स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, को लागू करने से इनकार करना , इन सब चीजों के बीच स्ट्रीट वेंडर्स अपनी आजीविका के भविष्य को लेकर खुद को बड़ी सोच में पाते हैं | और ये चीजें उनके साथ कभी ठीक भी होंगी की नहीं |

बढ़ता कर्ज और जानबूझकर राज्य की लापरवाही

महामारी और उसके बाद होने वाले लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में से एक स्ट्रीट वेंडर्स समुदाय था | उन्होंने न केवल अपनी आजीविका से हाथ धोया बल्कि कड़े लॉकडाउन के बीच में प्रायोजित हिंसा का भी सामना किया | अधिकतर स्ट्रीट वेंडर्स दलित , आदिवासी और हाशिये पर रहने वाले समुदायों से थे | राज्य द्वारा लगातार व्यवस्थागत उत्पीड़न का शिकार होते हुए , उनके पास महामारी के दुष्परिणाम से अपने आपको सुरक्षित रखने के कोई उपाय नहीं थे | किसी भी प्रकार के विकल्प के अभाव में स्ट्रीट वेंडर्स का काम रातों-रात ठप हो गया | और इसके साथ ही उनकी कमाई भी | यह संघर्ष लगातार पूरे लॉकडाउन के दौरान जारी रहा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म में तेजी से वृद्धि हुई | इसने वेंडर्स की आजीविका में और भी नुकसान किया चूंकि बहुत सारे लोगों ने जरूरी सामानों की अपने दरवाजे तक पहुँच के लिए ऑनलाइन माध्यमों का सहारा लेना शुरू कर दिया | अपनी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम और भूकमरी की कगार पर खड़े , स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी बची-खुची कमाई का इस्तेमाल करना पड़ा या फिर साहूकारों का सहारा लेना पड़ा | ऋण लेने के परिणामस्वरूप स्ट्रीट वेंडर्स ने भारी ब्याज के साथ अपने कर्जे में बढ़ोतरी का सामना किया , और अपनी आय में भारी गिरावट के कारण वह इस कर्जे को चुकाने में काफी संघर्ष कर रहे हैं| और इसके चलते वह साहूकारों द्वारा उत्पीड़न का आसानी से शिकार हो रहे हैं |

जनसुनवाई से सामने आया कि 86 (95.6%) वेंडर्स ने बताया कि महामारी ने भारी तौर पर उनकी कमाई को प्रभावित किया है, और जबकि 83.34% (90 में से 75 वेंडर्स) वेंडर्स ने महामारी की वजह से अपनी कमाई में 50% गिरावट देखी | जो वेंडर्स अनुसूचित जाति (एससी) से आते हैं उन्होंने अपनी कमाई में सबसे अधिक 75% गिरावट महसूस की | (चित्र 7 देखें)

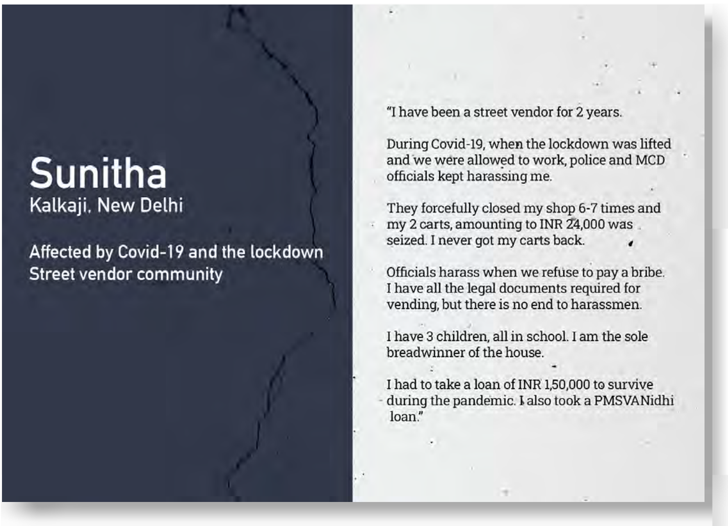

चित्र.7 आय पर प्रभाव

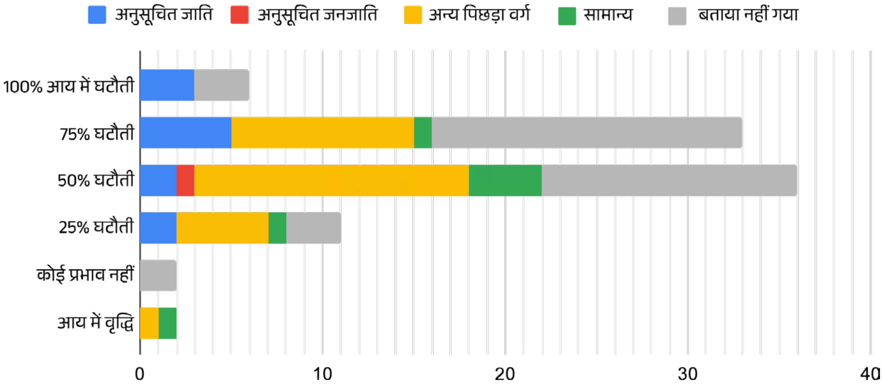

> "मेरे पास कोई पैसा नहीं था और मुझे लॉकडाउन के समय खुद को बनाए रखने के लिए 400,000 रुपये का लोन लेना पड़ा | मेरी कमाई में आई गिरावट के कारण मैं इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हूँ" ज्वाला नगर, दिल्ली के एक स्ट्रीट वेंडर्स राम ने बताया |

वेंडर्स के एक बड़े वर्ग को भी साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ा , यहाँ तक कि अस्पताल जाने और इलाज कराने के लिए भी | "लॉकडाउन के दौरान , मेरे बेटे ने साहूकारों से 1,50,000 का लोन लिया | कमाई में नुकसान होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था | उसने लगातार साहूकारों का उत्पीड़न सहा और इस वजह से वह बीमार पड़ गया | उसके इलाज के लिए मुझे और 1,00,000 रुपये का कर्ज लेना पड़ा जिसको भी अभी चुकाना बाकी है" कालकाजी की एक 65 वर्षीय स्ट्रीट वेंडर शांति देवी ने बताया | उसके प्रयास के बावजूद भी , फ़रवरी 2023 में उसके बेटे की मृत्यु हो गई और वह अभी भी गले तक कर्ज में दबी हुई है , अपने कर्ज को चुकाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है |

बयानों के आधार पर, 57.8% वेंडर्स को मेडिकल उपचार की जरूरत थी | 61.5% वेंडर्स या तो साहूकारों या फिर दोस्त या परिवार से उधार पर निर्भर थे | (चित्र 8 देखें)

चित्र.8 महामारी के दौरान चिकित्सा खर्चों के वित्तीय साधन

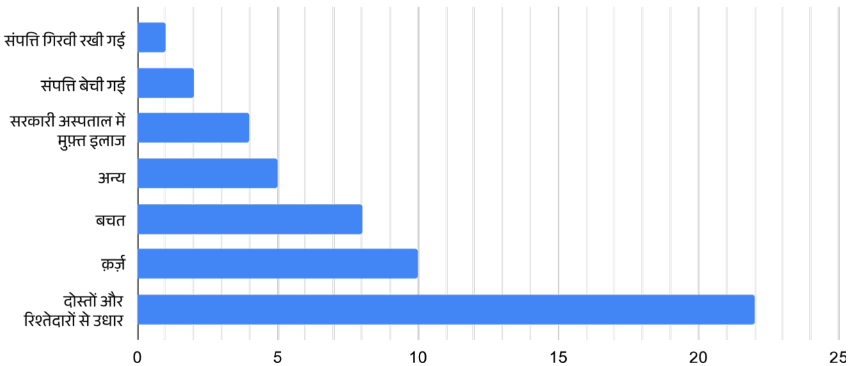

हालांकि सरकार द्वारा जून 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना वेंडर्स के लिए राहत भरी सौगात थी लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उनका आर्थिक संकट इतना गहरा था कि 10,000 रुपये की पूंजी काफी नहीं थी | अगर वो पूरी तरीके से अपना काम फिर से चालू नहीं कर पाए तो उनको अपना लोन वापस करने में काफी संघर्ष करना पड़ेगा | थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जिन 15 लोगों का इंटरव्यू लिया गया था उनमें से केवल तीन लोगों ने लोन के लिए आवेदन किया था | बाकी लोगों ने पेचीदे नियम कानून और प्रस्तावित राशि में अरुचि के कारण लोन के लिए आवेदन नहीं किया | वेंडर्स ने पेश की गई राशि पर निराशा व्यक्त की और उन्होंने बताया कि यह सरकार की समझ में कमी को दर्शाता है कि हम परिवहन , कच्चे माल इत्यादि पर कितना खर्च करते हैं | इसके अलावा, उन्होंने महसूस किया कि जो मामूली 10,000 रुपये की पेशकश की जा रही थी, उसके लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट करने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा।

वेंडर्स ने जोर दिया कि सरकार उन्हे लोन की जगह नकद राशि प्रस्तावित कर सकती थी | इसके साथ-साथ , वेंडर्स के एक वर्ग को लोन को प्राप्त करने में काफी परेशानियाँ झेलनी पड़ी क्योंकि उन्हे लोन के आवेदन के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाया जा रहा था | हालांकि वेंडर्स के एक वर्ग का लोन पास हो गया , तो दूसरे वर्ग को पास कराने में मशक्कत करनी पड़ी | वेंडर्स का एक दूसरा वर्ग भी है जो अभी तक अपने लोन की राशि के वितरण का इंतजार कर रहा है |

"मैंने पीएम स्वनिधि की राशि 10,000, रुपए के लोन के लिए आवेदन किया था , लेकिन मुझे लोन प्राप्त नही हुआ" , ज्वाला नगर के एक वेंडर ने बताया |

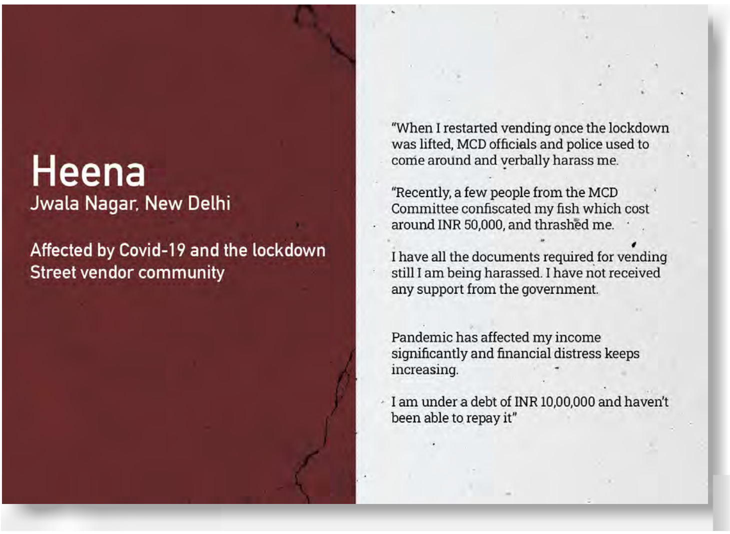

सरकार द्वारा योजनाबद्ध अत्याचार

महामारी ने इस देश मे गहरी धँसी सामाजिक–आर्थिक असमानताओं और व्यापक गैरबराबरी को उजागर कर दिया | जहां ऊंचे तबके के और अमीर लोग अपने घरों से बाहर ना निकलने की थोड़ी-बहुत असावधानी के साथ आराम से रह रहे थे, वहीं गरीब और हाशिये पर रहने वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा , सर के ऊपर छत और निष्कासन के डर से जूझना पड़ा | जहां अमीर वर्ग के लोगों को बिना कोई खर्चे की चिंता किए स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान पहुँच थी वहीं गरीब तबके के लोग अपनी खोई हुई आजीविका और तेजी से खत्म होती बचत से संघर्ष कर रहे थे | इसके अतिरिक्त इस महामारी ने दोषारोपण, भेदभाव और हिंसा को और प्रबल एवं मजबूत बनाया जिसका सामना उत्पीड़ित वर्ग पहले से कर रहा था | हालांकि यह बात सच है कि वायरस कोई भेदभाव नहीं करता लेकिन सरकार ने तो निश्चित ही किया |

यहाँ तक कि सरकारी योजनायें जिनका उद्देश्य गरीब वर्ग को सहायता पहुंचाना था इसने भी महामारी के दौरान कुछ खास मदद नहीं की | सुनवाई के दौरान लिए गए बयानों से यह समझ आया कि , समर्पित पीएमजीकेएवाई योजना के बावजूद , 21 वेंडर्स (23.4%) को राशन प्राप्त नही हुआ , जबकि 36 वेंडर्स ने कहा की उन्हे नियमित रूप से राशन की सप्लाई नहीं मिली (चित्र 9 देखें)

महामारी एक ऐसा समय था जब हमे एक कल्याणकारी राज्य की सूझ-बूझ दिखनी चाहिए थी जो अपने नागरिकों की देखभाल करे, खासकर वो लोग जिनको सामाजिक/आर्थिक चीजों की जरूरतें हैं| लेकिन इसकी जगह पर क्या देखा गया , पुलिस शासन का बढ़ता हुआ दवाब , जिसमें सरकार ने अपने लोगों पर पुलिस के माध्यम से सत्तावादी नियंत्रण का प्रयोग किया |

चित्र.9 PMGKAY के अंतर्गत प्राप्त राशन की स्थिति

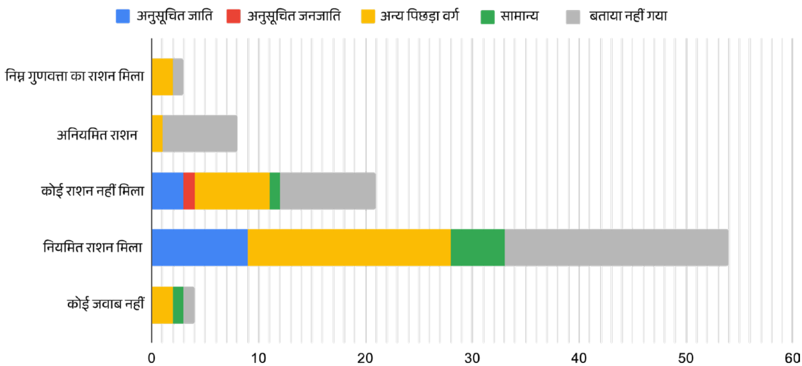

हाशिये पर रहने वाले लोगों की आवाजाही पर नकेल कसने के लिए पुलिस बल की तैनाती , उनकी आजीविका को खतरे में डालना , मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन , पुलिस राज की मौजूदगी का प्रमाण है | महामारी के समय पुलिस और नागरिकों के बीच टकराव एक आम दृश्य बन गया था | पुलिस अक्सर लाठियों का सहारा लेती और उन लोगों पर बेरहमी से हमला करती थी जो लॉकडाउन के समय उसका उल्लंघन करने पर मजबूर किए गए थे | नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट (अमेरिका) ने बताया कि , जनसंख्या में से 56 % लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के समय पुलिस आम नागरिकों की मदद कर रही थी , जबकि 55 % लोग पुलिस

लोग सरकारी दुकान से मुफ्त राशन लेने के लिए कतार में इंतजार करते हैं
फोटो: PTI

से डरे हुए थे बाकी और 55 % लोगों ने बताया कि उन्हे पुलिस द्वारा पीटे जाने की चिंता थी | यह रिपोर्ट आगे बताती है कि लॉकडाउन के दौरान समाज के नीचे तबके के लोग पुलिस से ज्यादा डरे हुए थे , खासकर उन्हे पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा का डर था |

स्ट्रीट वेंडर्स को भी दिल्ली नगर निगम और (एमसीडी) और पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा का डर था | उनके लिए अधिकारियों द्वारा झेले जाने वाला उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है | महामारी के दौरान यह स्थिति और भी खराब हो गई थी | जनसुनवाई से यह खुलासा हुआ कि पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने महामारी के दौरान वेंडर्स को अपनी दुकानें और धंधों को बंद करने के लिए दवाब बनाया | लॉकडाउन खुलने के बाद भी जब लोग अपने धंधों को फिर से शुरू कर सकते थे , वेंडर्स को अपने काम को शुरू करने में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि अधिकारी वर्ग अक्सर लाठियों के साथ आ जाते थे वेंडर्स की दुकाने बंद करने का आदेश लेकर | कभी उनके सामानों को फेंक दिया जाता तो कभी उनकी ठेला गाड़ी के साथ सामान जब्त कर लिया जाता था | इन सभी हादसों के कारण उन्हे और भी नुकसान उठाना पड़ा |

“29 मार्च , 2023 को जब मैं अपने ठेले पर दुकान चला रहा था , उसी वक्त पुलिस ने मुझे पकड़ा और **मेरे साथ मारपीट की** | जब मैंने उन्हे बताया की आज मेरा उपवास है , मुझ पर थोड़ा रहम करिए , तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला कि मुझे भगवान से दया माँगनी चाहिए मेरी आजीविका के लिए | मेरे साथ मारपीट होने के कारण **मेरा पैर टूट गया**”, ज्वाला नगर के वेंडर इमरान ने बताया |

““लॉकडाउन खुलने के बाद , पुलिस और दिल्ली नगर निगम ने बलपूर्वक मेरी **दुकान को 16 बार बंद कराया और मेरी दो ठेला गाड़ी भी जब्त कर ली** जिनकी कीमत 24,000 थी | मुझे वापस कभी मेरे ठेले नहीं मिले” , कालकाजी से एक वेंडर सुनीता ने बताया |

जनसुनवाई के माध्यम से अधिकारी वर्ग द्वारा किए गए लगातार उत्पीड़न की बात भी उजागर हुई | 90 मे से 40 (44.44%) वेंडर्स ने बताया कि उनके सामान या तो जब्त कर लिए या फेंक दिए गए | (चित्र 10 देखें)

अधिकारियों द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने पर वेंडर्स को अक्सर अस्पतालों में जाना पड़ता था। चिकित्सा उपचार में होने वाले अतिरिक्त खर्च ने उनकी मुसीबत को और बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त, आधिकारिक वर्ग वेंडर्स से अपनी दुकान लगाने के लिए घूस की अपेक्षा करते हैं। उन्हें अपने धंधे को चलाने नही दिया जाता अगर वो घूस देने से इंकार करते हैं तो। कई बार वेंडर्स के लिए घूस देना बिल्कुल आसान नहीं होता है क्योंकि वे पहले से ही अपनी कमाई में आई गिरावट से परेशान हैं। और दूसरे मामले में, वेंडर्स घूस देने से इंकार कर देते हैं क्योंकि उनके पास वैध लाइसेंस होते हैं। लेकिन इन दस्तावेजों का अधिकारियों के लिए कोई मतलब नहीं होता है। घूस न देने का परिणाम धमकी , सामान को नष्ट कर देना , और या बिना किसी वजह के चालान जारी कर देना होता है।

चित्र.10 2020 से 2023 तक सामान कितनी बार जब्त या फेंके गए ?

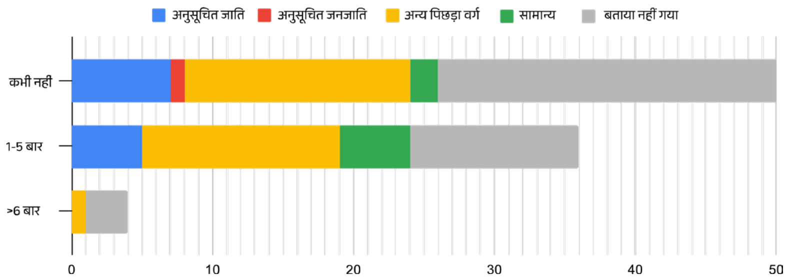

"अगर मुझे अपनी दुकान चलानी है तो मुझे सुनिश्चित करना होता है कि कुछ पैसे अधिकारियों के पास पहुंचते रहें । यह अधिकारी वर्ग , पैसों के बदले , नए लोगों को भी अपनी दुकानें लगाने में मदद करते हैं और आप देख सकते हैं कि हर रोज नई दुकानें लग रही हैं। इस वजह से यहां के वेंडर्स की रोज की कमाई प्रभावित हुई है" कालकाजी के एक स्ट्रीट वेंडर अजय कुमार ने बताया।

वेंडर्स का कहना है कि चूंकि पुलिस और एमसीडी अधिकारी राज्य की तरह निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वे अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं और जब कोई उनका विरोध करता है तो वेंडर्स की दुकानें या सामान को नष्ट करने जैसे कृत्य अपनाते हैं। वेंडर्स की दलीलें अनसुनी कर दी जाती हैं और अधिकारियों या सत्ताधारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। वेंडर्स की अपेक्षा है कि सरकार इन मुद्दों को देखे और कड़ी कार्यवाई करे।

संकट : हमेशा बने रहने वाली स्थिति

महामारी के पहले भी , वेंडर्स की आय कम थी । महामारी और उसके बाद लॉकडाउन ने उनकी आर्थिक स्थिति को और खराब किया है । महामारी के दौरान काम में कमी के कारण उन्हे अपनी बची-खुची बचत पर आश्रित होना पड़ा। अंततः वो घटने लगी और जल्द ही न तो उनके पास आय थी और न ही कोई बचत। अतः इस समुदाय को जीवित रहने के लिए साहूकारों की ओर रुख करना पड़ा– चाहे वह अस्पताल में इलाज हो , या बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदना–वह ऊंचे ब्याज पर बड़ी मात्रा में लोन ले रहे थे ।

> “महामारी के दौरान , मेरी दुकान 20 महीनों तक बंद रही । मेरे परिवार में 7 लोग हैं जिनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है । मेरे पास आय का कोई साधन नहीं था और मुझे जीवित रहने के लिए 2,00,000 का कर्ज लेना पड़ा” कालकाजी की एक स्ट्रीट वेंडर शांति देवी ने बताया।

90 में से 73 वेंडर्स ने बताया कि महामारी के समय से वह कर्ज में डूबे हुए हैं। आधे से ज्यादा वेंडर्स 50,000 से अधिक रुपए के कर्ज में हैं और 22% वेंडर्स 1 लाख और उससे अधिक के कर्ज में हैं । (चित्र 11 देखें)

चित्र.11 महामारी के दौरान लिया गया कर्ज

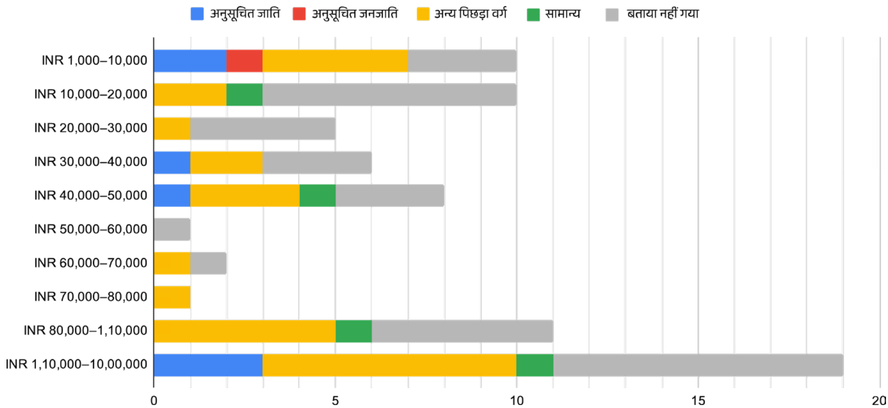

महामारी को हुए चार साल होने को आए हैं , लेकिन वेंडर्स का अभी भी इसके प्रभाव से पूरी तरीके से निकलना बाकी है । उनकी आजीविका में कोई ठहराव नहीं आया है और वे अपनी आय में आई भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। महामारी के दौरान साहूकारों पर पूरी तरीके से निर्भर होने के कारण उन्हें अपने आपको जीवित रखने के साथ-साथ लोन चुकाने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इनमे से ज्यादातर लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लगातार जूझ रहे हैं और खुद को भुखमरी की कगार से बड़ी मुश्किल से निकाल पाए हैं ।

"महामारी के पहले मैं सब्जी बेचकर रोज 1 हजार रुपए तक कमा लेता था। अब मैं मुश्किल से 200 रुपया कमा पाता हूं" ज्वाला नगर की एक वेंडर धनवंती ने बताया।

महामारी की वजह से उनके जीवन में आई आर्थिक परेशानी के अलावा उन्हें पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सतत उत्पीड़न से जूझना पड़ता है। ऐसा दिन नहीं गुजरता जब उन्हें इन अधिकारियों की प्रताड़ना न झेलनी पड़े, चाहे वो सामान जब्त करना हो या फिर उनके साथ की जाने वाली शारीरिक हिंसा। निष्कासन की धमकियों की वजह से उन्हें अपनी दुकानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है जो भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। न्यायपालिका के उनके पक्ष में फैसला सुनाने के बावजूद भी अधिकारी वर्ग उन्हें अपना धंधा चलाने देने से इंकार करते हैं। जब अधिकारी निष्कासन अभियान चलाते हैं तो वेंडर्स को अधिकतर केसों में हर्जाना नहीं दिया जाता। और ना ही उन्हें कोई दूसरी वैकल्पिक जगह दी जाती है जहां वे शांति से , बिना किसी उत्पीड़न के अपना धंधा चला सकें।

कुछ अधिकारी वेंडर्स के पास वैध लाइसेंस होने पर भी उनसे दुकान लगाने के एवज में घूस लेने की मांग करते हैं। और कभी-कभी जिन वेंडर्स के पास लाइसेंस नहीं होता तो उनकी दुकानें तोड़ दी जाती हैं। और जब वे इसकी शिकायत दर्ज कराने की सोचते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है।

टाउन वेंडिंग कमिटी (टी.वी.सी) के सदस्य और स्ट्रीट वेंडर्स ने खुलासा किया है कि वेंडर्स का सर्वे प्रभावी तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है। इसका प्रभाव यह हुआ कि वेंडर्स के एक वर्ग का सर्वे नहीं किया गया और इस प्रकार उनके पास वेंडिंग के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। इससे अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किए जाने की संभावना और भी बढ़ जाती है जब वे चुपचाप सावधानी से अपना माल हताशा भरी हालत में बेचने की कोशिश करते हैं। यहां इस बात पर जोर डालने की जरूरत है कि टाउन वेंडिंग कमिटी(टीवीसी) के सदस्य , जो अन्य गैर दस्तावेज वाले वेंडर्स हैं की तुलना में ज्यादा विशेषाधिकार और ताकत रखते हैं, वो भी स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 को प्रभावी तरीके से लागू कराने में और जन-स्वास्थ्य संकट के समय वेंडर्स की सुरक्षा करने में असफल रहे हैं।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने फेरीवालों, वेंडर्स इत्यादि का केवल एक बार 2021 में सर्वे किया था। जबकि अनुमानित तौर पर दिल्ली में 4,00,000-5,00,000 तक वेंडर्स हैं , लेकिन 2021 के सर्वे के अनुसार केवल 76,301 स्ट्रीट वेंडर्स की ही पहचान की गई।[15] हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में जल्द ही स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे होना है,[16] लेकिन अधिकारी वर्ग ने अभी तक इसकी तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि सर्वे पूरा होने तक अधिकतर वेंडर्स को अवैध वेंडर्स होने के कारण अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का खतरा बना रहेगा। विडंबना यह है कि, वेंडर्स द्वारा दी गई गवाही से पता चलता है कि "वैध" वेंडर्स होने पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न से बचाव होगा। उनकी एकमात्र आशा इसी बात पर टिकी हुई है कि स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के सुदृढ़ तरीके से लागू होने पर ही उन्हे कुछ राहत मिलेगी।

15 https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/mcd-to-conduct-fresh-census-of-street-hawkers-and-vendors-in-delhi-project-expected-to-take-six-months-101692641479236.html

16 https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/vendor-survey-to-begin-soon-in-new-delhi/articleshow/107158813.cms

आगे क्या ?

- **95.6% स्ट्रीट वेंडर्स ने महामारी की वजह से अपनी आय में प्रतिकूल प्रभाव महसूस किया**
- **73% वेंडर्स अपनी आजीविका चली जाने की वजह से कर्ज में हैं**
- **22% वेंडर्स 1 लाख से ज्यादा के कर्ज में हैं**

भारत में मौजूद जाति और वर्ग के प्रति पूर्वाभाव ने श्रमिक वर्ग के गिरे हुए मूल्य और अमानवीयकरण में योगदान दिया है। और इस व्यवस्था में स्ट्रीट वेंडर्स कोई अपवाद नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स समुदाय के शहरी/ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अच्छे खासे योगदान के बावजूद वह एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं, जो की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भारत के नागरिकों को दिया गया अभिन्न अधिकार है। उनकी आजीविका को लेकर नियमित रूप से धमकी बनी रहती है और वह कानून द्वारा दिए गए अपने अधिकारों के साथ जीवन जीने में विफल हैं।

स्ट्रीट वेंडिंग समुदाय द्वारा और उनके लिए जो भी प्रगति हुई थी वह महामारी के बाद से एकदम पीछे चली गई है। ऐसे अनगिनत अन्याय जो इस समुदाय ने झेले हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार उनके संघर्ष और मांगों के प्रति अंधी और बहरी हो गई है। क्या उन्हे वह जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं इसलिए निशाना बनाया जाता है। इस जनसुनवाई का उद्देश्य जमीनी हकीकत और इस समुदाय द्वारा झेली गई समस्याओं की सीमा को उजागर करना है।

हालांकि यह एक दिल्ली-आधारित रिपोर्ट है और 90 बयान डाटा के विश्लेषण हेतु एक कम आंकड़ा समझ में आ सकता है, लेकिन हम पढ़ने वालों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी जांच-पड़ताल में 150 लोग उपस्थित थे और उनके द्वारा झेले गए संकट की कहानियों को साझा करने के लिए आगे आ रहे थे। **95 .6% स्ट्रीट वेंडर्स ने महामारी की वजह से अपनी आय में प्रतिकूल प्रभाव महसूस किया और 73 % वेंडर्स फिलहाल अपनी आजीविका चली जाने की वजह से कर्ज में हैं साथ ही 22% वेंडर्स 1 लाख से ज्यादा के कर्ज में हैं।** स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में महामारी से पड़ी मार की जांच करने के संदर्भ में, सरकार ने अभी तक कोई जन सुनवाई नहीं की है,। हालांकि सिविल सोसाइटी जमीनी हकीकत का आंकलन करने के लिए सैंपल सर्वे संचालित कर सकती है, लेकिन यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सक्रिय रहे और संकट के कारण निचले स्तर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करे, ताकि भविष्य में पर्याप्त मात्रा में प्रतिक्रिया कर उपाय किए जा सकें। सरकारें जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ने इस महामारी से सीख लेते हुए सक्रिय कदम उठाए हैं और कोविड-19 संबंधित जांच पड़ताल की बुनियाद रखी और जन सुनवाई का प्रबंधन किया है, भारत में इस प्रकार के कोई भी प्रयास नहीं किए गए जहां महामारी का प्रकोप और उसके बाद के परिणाम दोनों ही बहुत भयावह रहे हैं।

पब्लिक इंक्वायरी कमिटी, पीपल्स कमीशन (पीसी-पीआईसी) और हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमिटी ने महामारी के दौरान इस समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव की गहराई से जांच करने के लिए जन सुनवाई का संचालन किया, और इससे यह सामने आया है कि महामारी को आए कई साल हो गए लेकिन उनके जीवन में अभी भी स्थिरता नही आई है। अब जब सरकारें आगे बढ़ रही हैं और लोगों को भी महामारी की घटनाओं से उबरने के लिए निर्देशित किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है कि महामारी की यादें जीवित रखी जाएं।

बलपूर्वक निष्कासन या आजीविका से वंचित करना आदि जैसे योजनाबद्ध अत्याचार जो कि महामारी के समय काफी प्रगाढ़ थे , वो राज्य, केंद्र और स्थानीय आधिकारियों की सांठगांठ से प्रेरित थे । इस बात से यह अचंभव होता है कि सरकार और अधिकारी समुदाय के रूप में उनके अधिकारों को मानते हैं भी कि नहीं।

स्ट्रीट वेंडर समुदाय की आजीविका ,उनकी गरिमा और उनके बुनियादी अधिकारों को पहचानना महत्वपूर्ण है — यह केवल आधारभूत चीजें ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं । इसके बावजूद कि सरकार और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से कितना भी मुंह मोड़ें और समुदाय पर किए जाने वाले अत्याचारों को कितना भी उचित ठहराएं, लेकिन उनके ऊपर किए जाने वाले राक्षसीय कृत्य और मानव अधिकार उल्लंघनों का बचाव नहीं किया जा सकता।

आर्थिक स्थिरता में गिरावट के साथ-साथ स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़ती हुई महंगाई के साथ भी संघर्ष करना पड़ा | भारत की महंगाई दर 2024 में 4.55% है | यह उम्मीद की जाती है कि महंगाई दर 2024 के मध्य में तकरीबन 4% तक नीचे आएगी और फिर उसके बाद मामूली तौर पर बढ़ेगी | लेकिन वास्तविकता में, महंगाई दर का प्रभाव बहुत ज्यादा है जो समाज के हर समुदाय को झेलना पड़ रहा है | जब देश भारी महंगाई से जूझ रहा है , खाद्य पदार्थों में महंगाई महत्वपूर्ण रूप से अधिक बनी हुई है ,परिणामस्वरूप ज़्यादातर लोगों को खाद्य पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पा रही है | यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट 2024-25 को प्रस्तुत करने के दौरान बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विषय में कोई जिक्र नहीं किया – जो कि दो बड़े मुद्दे हैं , खासकर महामारी के बाद निम्न-मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए | इन मुद्दों को कई मौकों पर उठाए जाने के बावजूद , सरकार का इन्हे संबोधित करने से इनकार करना साफ तौर पर स्पष्ट है |

हालांकि सरकार ने चुप्पी , नकार और जानबूझकर अनुपस्थिति का रास्ता चुना है , ये सारी घटनाएं बिना किसी बात और बहस के अनसुलझी नहीं छोड़ी जानी चाहिए । यह महत्वपूर्ण है कि जो ज़िम्मेदार और जवाबदेह हैं उनकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाए । हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर किए गए इन अत्याचारों की जांच करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार से सवाल पूछने और उसकी जवाबदेही मांगने की प्रक्रिया में , पीसी-पीआईसी ने “लोगों के द्वारा , लोगों की और लोगों के लिए एक प्रजातांत्रिक प्रतिक्रिया तैयार करने का लक्ष्य रखा है । यह संस्थानों और शासन की जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने और जमीनी स्तर के दृष्टिकोण को अपनाने की मांग करती है। आगे , इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को सशक्त बनाना है जिन्हे राज्य की जानबूझकर की गई कार्रवाई ने असहाय बना दिया था.

लोक आयुक्तों (पीपल्स कमिशनर्स) की सिफारिशें

अविनाश कुमार , एक मानव अधिकार कार्यकर्ता और लेखक हैं। उन्होंने कहा कि , स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा झेली गई परेशानी की कहानियों का उद्देश्य कभी-कभार कुछ घंटों या दिनों के लिए साझा करना नहीं है | उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप के लिए पीसी-पीआईसी की प्रक्रिया को नए तरीके से और दृढ़ता के साथ सोचे जाने की जरूरत है | ऐसा कहा गया था कि कोविड-19 संकट के दौरान सभी लोग एक ही नाव में थे | हालांकि , महामारी के तीन साल बाद , साफ हो गया है कि यह कथन असत्य है | धनी लोगों की तरक्की हुई है , महामारी के समय से लोग करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं , जबकि गरीब लगातार भुगत ही रहे हैं | देश में महामारी की वजह से उत्पन्न हुई आर्थिक असमानताएं महत्वपूर्ण हैं। वेंडर्स की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने पर भी , यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उन्हें नहीं सुना गया हैं। सूचनाओं का प्रसार , संगठन और आंदोलन जारी रहना चाहिए। सरकार को यह निश्चित ही समझने की जरूरत है कि मात्र दावा करने भर से कि "संकट का समाधान कर लिया गया है" काम नहीं चलेगा। इसके अलावा, विभिन्न जिम्मेदारियां और भूमिकाओं के निरंतर अतिव्यापी होने के कारण दिल्ली सरकार की प्रक्रिया काफी जटिल है।लोगों के लिए यह भ्रमित करने वाला है। एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमे शासन की सारी कड़ियों को समझाया जाए , और कैसे उन लोगों को जो निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं जिम्मेदार ठहराया जाए। जानकारी को सोशल मीडिया जैसे माध्यमों के द्वारा इकट्ठा किया जाना और समझाया जाना चाहिए। और आख़िर में , एक रिपोर्ट के माध्यम से इन सारी बताई गई कहानियों और जनसुनवाइयों को तैयार करने और प्रकाशित करने की जरूरत है। यह सब आसान नहीं होने वाला है। लेकिन यह लड़ाई आपकी है और इस लड़ाई के लिए समय निकालना जरूरी है। यह बिना किसी असफलता के निरंतरता के साथ किया जाना चाहिए। हमारी जीत इसी नींव के साथ तैयार होगी।

राजेंद्र रवि , जो तीन दसकों से ज्यादा शहरी राजनीति और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) के बीच अंतरसंबंध पर शोध कर रहे हैं , ने बताया कि टाउन वेंडिंग कमिटी के सदस्यों को टाउन वेंडिंग कमिटी की मीटिंग में बुलाने से इनकार करना और जब उन्हें बुलाया जाता है तो उन्हें बोलने से रोकना आदि को केवल हमारे सतत प्रयास और सरकार के साथ लगातार एडवोकेसी के माध्यम से हल किया जा सकता है। वेंडर्स के पास वेंडिंग सर्टिफिकेट होने के बावजूद उन्हे आधे घंटे से अधिक अपना धंधा न करने देने वाले तानाशाही रवैये को जरूर ही चुनौती देने की जरूरत है | स्ट्रीट वेंडर्स एक जगह पर सीमित नही होते | उन्हे लगातार इधर-उधर जाने की जरूरत होती है और हमेशा उनके पास एक स्थायी व्यवस्था नहीं होती| यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वेक्षण करने वालों को स्ट्रीट वेंडर्स ऐक्ट की समझ हो | जबकि यह ऐक्ट , एक जगह पर और घूमकर सामान बेचने वाले वेंडर्स को मान्यता देता है, सर्वे करने वाले अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि फेरी लगाने वाले वेंडर्स कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित होकर अपना काम कर रहे होंगे | और इस वजह से वह वेंडर्स सर्वे से छूट जाते हैं और जिस कारणवश उन्हे वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता | प्राधिकारी वर्ग को अलग प्रकार की प्रभावी कार्यप्रणाली को लाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सर्वे के दौरान कोई भी वेंडर्स छूटा नहीं है |

सड़के तैयार करते समय , प्राधिकारी वर्ग को यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि वे ऐसा रास्ता निकालें जिसमे वेंडर्स को भी जगह मिल सके ताकि उनकी आजीविका पर कोई फर्क न पड़े | यह संविधान द्वारा दिए गए अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है कि नागरिकों को उनकी आजीविका से वंचित किया जाए | टीवीसी सदस्यों को अपने प्रशासनिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए युक्तिपूर्ण तरीके से सरकार द्वारा लाई गई विकाश परियोजनाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए जो उनकी आजीविका को बाधित करती हैं | जी20 शिखर सम्मेलन का समुदाय पर प्रभाव भी प्रतिबिंबित होना चाहिए।

इंदु प्रकाश, एक प्रसिद्ध सक्रिय कार्यकर्ता और मानव अधिकार रक्षक हैं , ने कहा यहां उठाए गए सारे मुद्दे मार्मिक हैं । उन्होंने मुख्य रूप से , टीवीसी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत उन्हें जो शक्तियां दी गई हैं उन्हें उपयोग में लाने और यह समझना कि उन्हें कैसे प्रभावी तरीके से उपयोग करना है की जरुरत है । चाहे वह विचारों को व्यक्त करना हो या यह सुनिश्चित करना हो की मीटिंग मिनट्स ठीक से प्रसारित किए गए हैं , टीवीसी सदस्यों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और समस्याओं से निपटने के लिए नए तरीके खोजने चाहिए । अन्य संस्थाओं के महत्व और सर्वे के दौरान कमियों को दूर करने के लिए उनकी प्रतिभागिता को कम नहीं आंका जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका में एक स्पष्ट पूर्वाग्रह दिखता है जिसे संबोधित करने की जरूरत है । स्ट्रीट वेंडर्स को अतिक्रमण करने वाले और "अवैध" कब्जाधारी की नजरों से देखा जाता है , बावजूद इसके कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम,2014 ऐसी किसी भी परिभाषा का उपयोग नहीं करता । हमें ऐसी रूढ़िवादिता जो स्ट्रीट वेंडर्स को "अतिक्रमणकारी" का दर्जा देती है को दूर करने की सख्त जरूरत है , और यह भी जरूरी है की हम दूसरों को इसके बारे में शिक्षित करें। अंततः सब कुछ इस बात पर आकर ठहरता है कि हम सभी इस संघर्ष में आपके साथ हैं। हम कमजोर नहीं हैं ; हमे साथ आने और एक साथ चलने की जरूरत है , और जो सरकार में हैं उन्हें हमारी समस्याओं को सुनने की जरूरत है।

कुमार संभव , पत्रकार और लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के संस्थापक हैं , उन्होंने बताया कि अधिकारों, सार्वजनिक साधनों (कॉमन्स) का उपयोग और जमीन से आजीविका सुरक्षित करने का अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय , हमे महत्वपूर्ण रूप से यह ध्यान में रखना चाहिए कि सार्वजनिक साधन (कॉमन्स) और सामुदायिक स्थान लोगों के हैं , ना की किसी विशेष सरकार के । सरकार की जिम्मेदारी शासन को चलाना है। यह रवैया कि जो लोग सार्वजनिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं अतिक्रमणकारी हैं , एक अन्यायपूर्ण पूर्वाग्रह पैदा करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के 1600 से अधिक निर्णयों के विश्लेषण से पता चलता है कि सार्वजनिक साधनों (कॉमन्स) को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय जब हटाने या निष्कासित करने का आदेश देती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले समुदायों में से दलित , आदिवासी और भूमिहीन कामगार होते हैं । इसके विपरीत, अतिक्रमण करने वाला जब कोई इंडस्ट्री या निजी वर्ग का खिलाड़ी होता है तो उन्हें नहीं हटाया जाता । बजाय , निर्णय उनके पक्ष में दिया जाता है । स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम , 2014 प्रभावहीन बन चुका है । इस अधिनियम का सुचारू रूप से लागू होना अत्यावश्यक है और वेंडर्स की पहचान के लिए सर्वे लगातार किया जाना चाहिए । सर्वे के अभाव में सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाते हैं । जब सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं , तो यह कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं करता है । सर्वे करते समय और सर्टिफिकेट जारी करते समय इस अधिनियम में उल्लिखित उचित प्रकिया का पालन किया जाना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही होती है और उन्हें वेंडर्स की आजीविका

में नकारात्मक प्रभाव डालने वाले किसी भी गलत काम को रोकने के लिए जिम्मेदार तरीके से काम करना चाहिए। इस अधिनियम के सफलतापूर्वक लागू होने के लिए टीवीसी के सदस्यों की भूमिका और उनका सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है।

अमृता जोहरी, जो भोजन के अधिकार (राइट टू फूड) और सूचना का अधिकार (राइट टू इनफॉर्मेशन) जैसे अभियानों से जुड़ी रहीं हैं , ने बताया कि वेंडर्स की पहचान को स्थापित करने के हक में यह एक राजनीतिक लड़ाई है ,वह आगे चिंतन करते हुए बताती हैं कि , उनके संघर्ष के अनुभवों का उपयोग इसे एक राजनीतिक क्रांति के रूप में बदलने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वेंडर्स को अपनी वेंडिंग कार्ट के आगे अपने संघर्षों की तख्तियां लगानी चाहिए।जब अधिकारी वर्ग उनकी कार्ट को हटाते हैं, तो वेंडर्स को एक साथ आकर इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। चूंकि दिल्ली में 5,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं , अगर वे एक साथ आकर अपने उत्पीड़न और बाकी अन्य मुद्दों की बात करें और कार्रवाई की मांग करें तो उनकी सामूहिक आवाज को सुना जाएगा और सरकार सुनेगी। खराब तरीके से की जाने वाली टीवीसी मीटिंग्स के संबंध में, मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में लोगों को शिक्षित करने के साथ-साथ इन मीटिंग्स का लाइव-प्रसारण भी शुरू किया जाना चाहिए। वेंडर्स को अपने साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका दस्तावेजीकरण करना चाहिए और जितना हो सके उतने लोगों तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए।

राजेश उपाध्याय, एक श्रमिक कार्यकर्ता हैं , उन्होंने दोहराया कि स्ट्रीट वेंडर्स का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान अमूल्य है। यह उचित और न्यायसंगत है कि इस समुदाय को उनके योगदान के लिए उचित प्रतिनिधित्व मिले। दुर्भाग्यवश, मौजूदा आर्थिक व्यवस्था केवल अमीर लोगों के हितों को ही पूरा करती है। गरीब लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां , स्ट्रीट वेंडर्स की प्रासंगिकता के बारे में अनभिज्ञ हैं। सकल घरेलू उत्पाद में उनका महत्वपूर्ण योगदान और उनका वोट बैंक होने के बावजूद , वेंडर्स को अक्सर नकारा जाता है। पार्टियों को वेंडर्स के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए , यह जरूरी है कि उनकी संगठनात्मक क्षमता को मजबूत किया जाए और जमीनी स्तर के आंदोलनों को मजबूत किया जाए। महामारी के समय , हमने कई सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए देखा , जिसमें एक स्वास्थ्य व्यवस्था भी है। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनके शवों को गंगा के किनारे ठिकाने लगा दिया गया। हमें इन अत्याचारों और असफलताओं को हमेशा याद रखना चाहिए। सरकार ने श्रम संहिता के नाम पर नए कानून बनाकर समुदाय को विफल कर दिया है, भारी मात्रा में निष्कासित किए गए लोगों की आजीविका की परवाह किए बिना। ये सभी बातें स्ट्रीट वेंडर्स और टीवीसी की कार्यप्रणाली के विषय में कानूनों की अपर्याप्तता को उजागर करती हैं। स्वनिधि जैसी योजनाओं का लागूकरण भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जहां लोगों के संघर्ष महत्वपूर्ण हैं , वहीं इस कठिन समय में न्यायपालिका और कानूनी लड़ाइयों की महत्ता को भी पहचानना जरूरी है। यूनियन को मजबूत करना और कानूनी लड़ाइयां साथ-साथ चलनी चाहिए।

अभिनंदिता दयाल माथुर, डीसीपीसीआर की सदस्य हैं , उन्होंने बताया कि उनके राजनीति में होने और दिल्ली सरकार के साथ काम करने के बावजूद , वह उन मुद्दों को समझती हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखती हैं जो यहां उठाए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के संबंध में उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से यह आश्वासन दिया जाता है

कि सर्वे की प्रक्रिया चालू हो गई है और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 को अगले दो महीनों के अंदर लागू कर दिया जाएगा। टीवीसी मीटिंग भी जल्द ही आयोजित की जाएगी। स्थानीय स्तर पर , रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से एक चैनल तैयार किया जाना चाहिए ताकि एक निर्दिष्ट स्थान पर वेंडर्स अपने मुद्दों पर चर्चा कर सकें।

इंदिरा उन्नीनायर, एक वकील और सक्रिय कार्यकर्ता हैं , उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि, स्ट्रीट वेंडर्स पर अतिक्रमणकारी होने का एक ऐतिहासिक टैग लगा हुआ है। यह शीर्षक उन्हें खुद को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने से रोकता है जिसे व्यवसाय करने की अनुमति है। हालांकि , स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 काफी प्रभावी है और स्ट्रीट वेंडर्स को परिभाषित करने के लिए "अतिक्रमणकारी" शब्द का उपयोग नहीं करता है , लेकिन यह अधिनियम अधिकारी वर्ग , आम लोगों और यहां तक कि न्यायपालिका को इस शब्द का इस्तेमाल स्ट्रीट वेंडर समुदाय के लिए करने से नहीं रोक पाया है। संविधान द्वारा निर्धारित और इस अधिनियम द्वारा प्रबलित अपने अधिकारों के साथ जीने के लिए उन्हें अपमानित किया जाता है और उनकी जाति, वर्ग और सामाजिक स्तर के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

अनुलग्नक

स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा दी गई गवाही उनके इलाके पर आधारित है

कालकाजी, नई दिल्ली

1.नाम : श्री प्रवीण कुमार (सॉफ्ट ड्रिंक्स और पानी बेचते हैं)

परिवार : सात सदस्य

प्रवीण कुमार 27 सालों से स्ट्रीट वेंडर्स हैं और लोटस टेंपल के पास ठेला लगाते हैं। 7 लोगों के परिवार में वह अकेले कमाने वाले सदस्य हैं । डेढ़ साल पहले , लोटस टेंपल के पुनर्विकास के नाम पर सरकार द्वारा सारे स्ट्रीट वेंडर्स को हटा दिया गया था। लेकिन , किसी भी प्रकार के पुनर्विकास का काम अभी तक नहीं हुआ है । यह महामारी के समय , सितंबर 2021 में हुआ था । उस समय केवल 51 वेंडर्स ही अपने काम का प्रमाण पत्र बता पाए , और उन्हें टेंपल वाली जगह के अंदर अपने काम को करने की अनुमति मिल गई । लेकिन , स्ट्रीट वेंडर्स का बहुत बड़ा वर्ग इससे छूट गया , चूंकि वह यात्रा पर प्रतिबंध लगने के कारण न तो अपने प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए जा पाए और न ही वह अपने काम करने के प्रमाण को साबित कर पाए । लोटस टेम्पल जिसका मालिकाना हक एक विदेशी सामाजिक संस्था के पास है , एक पर्यटक स्थल है , इसे लॉकडॉउ न हटने के बाद आगंतुकों के लिए खोल दिया गया था । लेकिन , दुकानदार/ वेंडर्स को वहां काम करने की अनुमति नहीं थी। लगभग दो सालों तक , दुकानदार और वेंडर्स इस बात की मांग करते रहे कि उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए इस जगह को खोल दिया जाए ।

संकट : आर्थिक हानि, स्वास्थ्य

लॉकडाउन के समय, अपनी छोटी बेटी जो कि कैंसर से पीड़ित है , उसे नियमित डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना पड़ता था । हालंकि उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा बंद थी और परिवहन पर प्रतिबंध था । बाद में , श्री प्रवीण कुमार को उच्च अधिकारियों से अपनी बेटी के डायलिसिस हेतु यात्रा के लिए अनुमति लेनी पड़ी ।महामारी के समय , उन्होंने 1,36,000 रुपए उधार लिए क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था और उनकी आय प्रभावित हो चुकी थी । उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 के लोन के लिए आवेदन किया लेकिन अभी तक राशि नहीं आई है।

2. नाम: श्री रिंकू पाल (खिलौने बेचते हैं)

उम्र:28 वर्ष

रिंकू फर्रुखाबाद (यू.पी) से आए हुए प्रवासी हैं और 13 साल से स्ट्रीट वेंडर्स हैं। वह किराए के मकान में पप्पू धर्मशाला के पास रहते थे , जहां उनकी दुकान भी थी।

संकट : आर्थिक हानि, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न

लॉकडाउन के समय , दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और पुलिस आधिकारियों द्वारा उन्हे अपनी दुकान को बंद करने पर विवश किया गया। रिंकू की दुकान बंद होने के कारण और आय का स्रोत खत्म होने के कारण , रिंकू के पेरेंट्स को उसे पैसा भेजना पड़ा। वह जल्द ही अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्चे के साथ अपने पैतृक गांव पैदल चल पड़ा , उन्हें रास्ते में भोजन और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संस्था और सरकार के द्वारा मदद दी गई। कोरोना की पहली लहर के बाद जब रिंकू वापस लौटा तो उसे पता लगा कि श्री मिधा जो कि एक सेवानिवृत न्यायाधीश हैं , और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा बनाए गए फ्लैट में रहते हैं , उन्होंने डीडीए आधिकारियों को अपने निवास स्थान के पास वाली दुकानों को गिराने का आदेश दिया। पूर्व न्यायाधीश ने सार्वजनिक हित में उस जगह पर मंदिर निर्माण करने के नाम पर दुकानों के तोड़फोड़ को उचित ठहराया। अभी तक उस जगह पर कोई भी मंदिर नहीं बना है , लेकिन रिंकू जैसे लोगों की आजीविका पर भारी प्रभाव पड़ा है। रिंकू की दुकान को बलपूर्वक बंद करने के बाद, उसने रेड़ी की दुकान चालू की है , और अब वही उसकी आय का साधन है। हालांकि उसकी आय में भारी गिरावट आई है। वह रोज 700-800 रुपए कमाता था जो कि अब गिरकर 400 रुपए प्रतिदिन हो गई है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए , रिंकू ने अपने दोस्तों से लोन भी लिया है।

---

3. नाम: श्री अजय कुमार (लाइम सोडा बेचते हैं)

उम्र:47 वर्ष

परिवार : 5 सदस्य हैं।

अजय कुमार 30 सालों से स्ट्रीट वेंडर्स हैं और उन्होंने महामारी की चपेट में आने के बाद लोटस टेंपल के करीब लाइम सोडा की दुकान लगाई थी। वह अपने तीन भाइयों और एक भाभी के साथ मिलकर दुकान चलाते हैं।

अजय कुमार का दयालबाग में घर है। महामारी के पहले , वह आइस्क्रीम आउटलेट, एक बेकरी और कई सारी दुकानें चलाते थे। उनकी महीने की कमाई 3-4 लाख के करीब थी।

संकट : आजीविका , पुलिस और दिल्ली नगर निगम के (एमसीडी) अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न , और अर्थव्यवथा

जब महामारी आई तो चीजें बद से बदतर हो गईं। अजय को सिवाय अपने घर को छोड़कर सारी संपत्ति बेचने पर मजबूर किया गया। "स्ट्रीट वेंडर्स को बेकार माना जाता है और इस समाज में सम्मान से नहीं देखे जाते हैं। पुलिस और एमसीडी लगातार हमें प्रताड़ित करती है। दस्तावेज उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। यदि मुझे अपनी दुकान चलानी है तो मुझे यह ध्यान रखना होगा कि कुछ पैसा उनके पास पहुंच रहा है। यह केवल मेरे अकेले की बात नही है ऐसी स्थिति सबके साथ है। अगर आपको दुकान चलानी है तो आपको इन अधिकारियों को पैसा भरना पड़ेगा। यह कई समस्याओं में से एक है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। ये अधिकारी, पैसे के बदले में , नए लोगों को उनकी दुकान स्थापित करने में भी मदद करते हैं और आप हर रोज नई लगती हुई कई

दुकानों को देख सकते हैं। इसने यहां पर स्ट्रीट वेंडर्स की रोज की कमाई को प्रभावित किया है। जब राज्य यह बोलता है कि हम इस देश के सम्मानीय सदस्य हैं, तो उन्हें हमारे साथ इज्जत से पेश आना चाहिए और हमे अपने अधिकारों को देना चाहिए" श्री अजय कुमार ने कहा

4.नाम: श्री फिरोज (खिलौने बेचते हैं)

उम्र :41 वर्ष

परिवार : तीन सदस्य

फिरोज 28 सालों से स्ट्रीट वेंडर्स हैं। उनकी एक बेटी और बेटा है। उनकी बेटी कॉलेज में और बेटा 9 वीं कक्षा में पढ़ता है।

संकट: आर्थिक

महामारी के पहले वह 25,000 से 30,000 रुपए महीने कमाते थे। महामारी के बाद से, हालांकि उनकी आय में 75 % तक गिरावट आई है और वह अब केवल महीने में 5,000 से 7,000 रुपए तक कमा पाते हैं।

उनके बच्चे, जो महामारी के पहले प्राइवेट संस्थानों में पढ़ रहे थे अब उन्हें सरकारी संस्थानों में जाना पड़ा क्योंकि फिरोज कई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। अपने आपको स्थिर बनाए रखने के लिए उन्होंने कई जगहों से लोन लिए सिवाय बैंक के। लॉकडाउन के समय उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह काम के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाए और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा नही कमा पाए। उनका सर्वे में नाम है और उनके पास जरूरी दस्तावेज हैं और वेंडिंग करने के लिए प्रमाण भी है।

---

5. नाम: सुश्री सुनीता (सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय इत्यादि बेचती हैं)

परिवार : 4 सदस्य हैं।

सुनीता 2 सालों से स्ट्रीट वेंडर्स हैं

संकट : पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाना , आर्थिक स्थिति और बच्चों की पढ़ाई।

महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के हटने के बाद, एमसीडी अधिकारियों ने उनके 2 रेड़ी लगाने वाले ठेलों को जब्त कर लिया, जिसका उनको 24,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें वह ठेले कभी वापस नहीं मिले। दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों ने उनकी दुकान को 6 से 7 बार बंद कराया। " उन्होंने बताया कि, यह तब होता है जब अधिकारियों को उनकी घूस नहीं मिलती" अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने, और महामारी की वजह से आई सामान्य समस्याओं की वजह से उनकी आय में भारी गिरावट आई है, और वह अपने आपको स्थिर बनाए रखने में काफ़ी परेशानी का सामना कर रही हैं। उनकी दो लड़कियां और एक लड़का है। वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन नहीं खरीद सकीं। बाद में उनके लड़के को स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा।

कर्ज:

महामारी और उसके बाद लगने वाले लॉकडाउन की वजह से काम मिलने में कमी और आय की समस्या के कारण , उन्हे 1,50,000 रुपए का लोन लेना पड़ा । वह लोन की पूरी राशि नहीं चुका पाईं हैं । 50,000 रुपए चुकाना बाकी है । उन्होंने पीएमस्वनिधि योजना के तहत भी लोन लिया है। उनका वेंडर्स सर्वे में नाम है और वह सारे जरूरी दस्तावेज और वेंडिंग करने का प्रमाण रखती हैं ।

---

6. नाम: सुश्री शांति देवी (फल बेचती हैं)

उम्र: 65 वर्ष

परिवार : तीन सदस्य हैं ।

शांति देवी जयपुर , राजस्थान से आई हुई प्रवासी हैं और पिछले 30 सालों से स्ट्रीट वेंडर हैं । 15 साल पहले अपने पति की मृत्यु के बाद से वह विधवा हैं ।

संकट और मृत्यु: आजीविका खत्म होना , बेघर , भूमिहीन और आर्थिक हानि

जब वह बीमार थीं तो उनके लड़के ने दुकान चलाने में उनकी मदद की। महामारी के दौरान , आजीविका और आय खत्म हो जाने के कारण , उनके लड़के ने 1,50,000 रुपए का लोन लिया । आय में कमी की वजह से वह इस राशि को लौटाने में असमर्थ था । जब साहुकारों के द्वारा दवाब काफ़ी ज्यादा हो गया , सुश्री देवी ने 1,00,000 रुपए में अपना घर गिरवी रख दिया । हालंकि लोन की राशि तब भी नही चुकाई जा सकी । तनाव की वजह से उनका बेटा बीमार पड़ गया और उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी 2 फरवरी, 2023 को मृत्यु हो गई। उनका बेटा अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गया , एक 14 साल का लड़का और एक 10 साल की लड़की । 65 साल की उम्र में शांति देवी को अपनी और उन बच्चों की देखभाल करनी है। आय में आई भारी गिरावट की वजह से वह दिन का 200 रुपए भी नहीं बचा पाती हैं । उन्होंने 2 साल पहले राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था लेकिन उन्हें राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला है । वह अपने पैतृक गांव भी नहीं जा सकतीं क्योंकि उनके पास वहां कोई घर या जमीन नहीं है ।

कर्ज:

अपने लड़के के इलाज के लिए , शांति देवी ने 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया था। लोन की पूरी राशि तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई है और उनके पास उसे चुकाने का कोई साधन नहीं है । उनका वेंडर्स सर्वे में नाम है और वह सारे जरूरी दस्तावेज और वेंडिंग करने का प्रमाण रखती हैं।

---

7. नाम: सुश्री सोना देवी (महिलाओं के कपड़े और परफ्यूम बेचती हैं ।

उम्र:45 साल

परिवार : सात सदस्य हैं ।

सोना देवी गोरखपुर से प्रवासी हैं पिछले 6 सालों से लोटस टैंपल के करीब स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करती हैं

संकट : आजीविका और आर्थिक नुकसान

महामारी के दौरान और उसके बाद लगने वाले लॉकडाउन, के कारण उनकी दुकान 20 महीनों तक बंद रही , जिसके कारण उनके पास किसी भी प्रकार की आय नहीं बची थी। महामारी से लेकर अभी तक के समय में , उनके रेड़ी लगाने वाले ठेले दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने 4 से 5 बार

जब्त किए हैं। उन्होंने एक बार 20,000 रुपए का हर्जाना देकर अपनी ठेला गाड़ी को छुड़ाया, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि हर्जाने की कीमत काफी ज्यादा थी और वह उसे व्यय नहीं कर सकती थीं। महामारी के समय जब आय का कोई साधन नहीं था तब उन्होंने 2,00,000 रुपए का लोन लिया। उनका स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सर्वे हुआ है और उनके पास वेंडिंग के लिए जरूरी सारे दस्तावेज मौजूद हैं।

---

8. नाम: श्री कमल कुमार साहनी (सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचते हैं)

उम्र:48 वर्ष

परिवार: तीन सदस्य हैं।

कमल कुमार साहनी बस्ती, उत्तर प्रदेश से प्रवासी हैं और 26 साल से स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से वह लोटस टैंपल के करीब स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहे हैं। महामारी के समय उनकी दुकान 18 महीनों तक बंद रही। चूंकि उनके पास आय नहीं थी इसलिए उन्होंने 35,000 रुपए का लोन लिया।

जब प्रतिबंधों को धीमा किया गया और काम फिर से चालू हुआ, तो दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने दो बार उनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स को जब्त कर लिया, हर बार नुकसान की राशि 1,000 से 2,000 के करीब थी। उनके दो बेटे हैं जो प्राइवेट स्कूल में कक्षा 10 वीं और 7 वीं में पढ़ रहे हैं। " महामारी और लॉकडाउन के समय आय का कोई जरिया ही नहीं था। फिर भी स्कूल ने अपनी फीस कम नहीं की" श्री साहनी जी ने कहा। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदा लेकिन ऑनलाइन क्लासेस किसी काम की नहीं थीं।

9.नाम: श्री सागिर

उम्र : 36 साल

सागिर एक प्रवासी है और गिरिडीह, झारखंड से हैं। वह 20 साल से स्ट्रीट वेंडर हैं। उनकी कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास दुकान है। महामारी के दौरान उनकी दुकान 12 महीने बंद रही। जब उनकी दुकान वापस खुली तो पुलिस ने उन्हे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 13 जुलाई, 2023 को, सब इंस्पेक्टर (एस आई) ने धमकी देते हुए बोला कि 'मैं रोज तुम्हारे ऊपर 500 रुपए का चालान काटूंगा और तुम्हारे रेहड़ी के ठेले को जब्त कर लूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन तुम्हारे बचाव में आता है'।श्री सागिर कहते हैं कि एसआई हर किसी को धमकी नहीं देता है बल्कि 6 या 7 वेंडर्स को ही धमकाता है जिनमें — साहिद, नितिन, सोनू, आलिम, राज सिंह, और सागिर शामिल हैं।

लॉकडाउन के समय, उन्होंने अपने दोस्त से 60,000 रुपए उधार लिए थे। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी लोन लिया है।

महामारी के बाद पुलिस ने उन पर 4 चालान लगाए हैं। उनका वेंडर्स सर्वे में नाम है और वह सारे जरूरी दस्तावेज और वेंडिंग करने का प्रमाण रखते हैं।

करोल बाग , नई दिल्ली

10.नाम: सुश्री बीना (चाय बेचती हैं)

उम्र: 52 साल

परिवार: दो सदस्य हैं ।

बीना एक दलित प्रवासी हैं जो कोलकाता से हैं। वह पिछले 30 सालों से सर गंगा राम हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास रेहड़ी पटरी लगा रहीं हैं । 2008 में , उनके 17 वर्षीय इकलौते बेटे की मौत हो गई उनके पति अपने बेटे की मौत से नहीं उबर पाए और बीमार पड़ गए । उनकी दुकान 5 सालों तक बंद रही । 2019 में, जब उन्होंने अपनी दुकान फिर से खोली , तो एमसीडी के अधिकारियों ने बीना का सामान जब्त कर लिया । अपने सामान को वापस पाने के लिए बीना को अपनी सोने की चैन बेचनी पड़ी । बाद में , उसी साल, जब एमसीडी अधिकारी निरीक्षण के लिए आए , तो बीना को जातीय टिप्पणी 'चूहड़ा-चमार' से संबोधित करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया । 2019 में उनके सामान को एक बार फिर जब्त कर लिया गया , उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था और अपने सामान को वापस पाने के लिए कोई पैसा नहीं था ।

संकट: आजिविका और आर्थिक हानि , और उत्पीड़न

2020 में, महामारी के दौरान, उनकी दुकान को 8 महीनों के लिए बंद कर दिया गया। वह अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती हैं और महामारी के समय, उनका मकान मालिक वायरस के डर से लोगों को उनके घरों से ना निकलने के लिए मुख्य दरवाजे को लॉक कर देता था । इससे उनकी आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ा । महामारी के कठिन समय में, वे मंदिर में मिलने वाले खाने पर निर्भर थे ।

जब बीना ने अंततः 8 महीने बाद अपनी दुकान फिर से खोली , तो दिल्ली नगर निगम के आधिकारियों ने उनके सामान को 15 बार जब्त किया । काफी हद तक आधिकारियों द्वारा उत्पीड़न सह लेने के बाद , उन्होंने एक लेटर के माध्यम से अपनी कहानी को बताते हुए प्रधान मंत्री को संबोधित किया । इसके बाद एक पुलिस वाला आया और उनसे लिखने के लिए बोला कि " उन्हें किसी भी पुलिस वाले के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया है" और फिर उस पर वो अपने दस्तखत करें । बीना ने ऐसा करने से इंकार कर दिया ।

बीना ने बताया कि इसके बाद , एक वकील ने उन्हें फोन किया था । उन्हें नहीं पता है कि वकील ने क्या किया , उन्हें संदेह है कि वकील ने ऑनलाइन कुछ किया और उस फोन के बाद से उन्हें किसी एमसीडी या पुलिस वाले ने परेशान नहीं किया है।

महामारी के बाद से, उनकी आय में 60 % तक कमी आई है । इसके पहले वह हर रोज चाय के लिए 25 लीटर दूध का उपयोग करती थीं । अब यह घटकर प्रतिदिन 10 लीटर हो गया है ।

उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन लिया है । लोन की राशि चुका देने के बाद उन्होंने 20,000 रुपए का लोन और लिया है । उनका वेंडर्स सर्वे में नाम है और वह सारे जरूरी दस्तावेज और वेंडिंग करने का प्रमाण रखती हैं ।

---

11. नाम: सुश्री आशा (चाय, पराठा , और पानी बेचती हैं)

उम्र:40 साल

परिवार : 4 सदस्य हैं

आशा एक प्रवासी हैं जो इलाहाबाद , उत्तरप्रदेश से हैं । आशा 20 सालों से स्ट्रीट वेंडर हैं ।

संकट : आजीविका और आर्थिक नुकसान

जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई , आशा के पास केवल घर में 2 किलो चावल बचे थे जो जल्द ही उपयोग हो गए , और उनके परिवार को 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा । महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान उनकी दुकान बंद थी , जिससे उनके परिवार के पास आय और भोजन का कोई साधन नहीं बचा था। हालांकि, थोड़े समय बाद उन्हें 5,000 रुपए महीने पर ट्रेन में टॉयलेट साफ करने के लिए रख लिया गया । वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए लगातार यह काम करती रहीं जब तक कि लॉकडाउन नहीं हट गया । लॉकडाउन हटने पर उन्होंने अपना वेंडिंग का काम फिर से चालू कर दिया ।

महामारी के बाद से उनकी आय में 75% तक कमी आई है । पहले , वह पराठे का आटा तैयार करने के लिए 5 किलो गेहूं का उपयोग करती थीं । लेकिन आजकल वह , मुश्किल से 1 किलो से ज्यादा ही गेहूं का इस्तेमाल करती हैं। महामारी के दौरान उनके लड़कों की पढ़ाई प्रभावित हुई । हालांकि , उनके बच्चों ने दोबारा क्लास लेना शुरू कर दिया है और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं।

कर्ज :

स्वयं को और अपने परिवार की स्थिति को बनाए रखने के लिए ,उन्होंने अपने सोने के गहनों को 60,000 रुपए में बेच दिया । उन्हे अपने घर खर्च को चलाने और घर के लोन को चुकाने के लिए अपने रिश्तेदारों से 5,00,000 का लोन लेना पड़ा । उनके ऊपर 20,00,000 (घर के लोन को मिलाकर) का कर्ज है । उनका वेंडर्स सर्वे में नाम है और वह सारे जरूरी दस्तावेज और वेंडिंग करने का प्रमाण रखती हैं ।

---

12. नाम: श्री गोपाल यादव (फल बेचते है)

उम्र : 52 साल

परिवार : 4 सदस्य हैं ।

गोपाल एक प्रवासी हैं और संत कबीर नगर , उत्तर प्रदेश से हैं । गोपाल 30 सालों से स्ट्रीट वेंडर हैं । उनके दो बच्चे हैं । उनकी बेटी कॉलेज में है और बेटा 10 वीं कक्षा में है।

संकट : आजीविका और आर्थिक नुकसान

महामारी के समय उनकी दुकान दो महीने तक बंद रही । जब उन्होंने काम करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें तुरंत रोक दिया । इसके परिणामस्वरूप, उनके 40,000 रुपए की कीमत के फल बर्बाद हो गए ।

फिलहाल में, वेंडिंग से उनकी रोज की आमदनी हो जा रही है लेकिन उनकी आय में 50% तक कमी आई है। भले ही वह लंबे घंटों तक काम करें , लेकिन उनकी आय वही की वही और कम होती है ।

कर्ज :

अपने घर कर्ज को चलाने के लिए उन्होंने 3,00,000 रुपए का लोन लिया ।

उन्होंने पीएम स्वनिधि के तहत 10,000 रुपए का लोन लिया । लोन की राशि चुकाने के बाद उन्होंने दोबारा 20,000 रुपए का लोन लिया ।

वह आग्रह करते हैं कि ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए और पुलिस और एमसीडी अधिकारियों के उत्पीड़न से बचने के लिए उन्हें कोई निर्दिष्ट स्थान आवंटित किया जाए । उनका वेंडर्स सर्वे में नाम है और वह सारे जरूरी दस्तावेज और वेंडिंग करने का प्रमाण रखते हैं।

13.नाम: श्री दिलीप कुमार (लेमन सोडा , भेल पूरी बेचते हैं)

उम्र:45 साल

परिवार : 4 सदस्य हैं ।

दिलीप कुमार एक प्रवासी हैं और गोरखपुर से हैं । वह 26 सालों से स्ट्रीट वेंडर हैं । शुरुआत में , वह सब्जियां बेचा करते थे और उनकी सब्जियों की दुकान थी। लेकिन उसे एमसीडी अधिकारियों द्वारा उजाड़ दिया गया ।

संकट : आजीविका में नुकसान (सदमा , शर्म , उत्पीड़न)

उन्हें हमेशा से गले और श्वसन संबंधी समस्याएं थीं और जब महामारी शुरू हुई तो इन्हे वायरस से संक्रमित होने का लक्षण माना गया । हालांकि वह काफी हद तक निश्चित थे कि वह वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं। वह कुछ नहीं तो पर कल्पना कर सकते थे कि अगर वह कोविड-पॉजिटिव होते तो स्थिति बहुत खराब होती । बीमारी से जुड़ी शर्म और डर ने उन पर मानसिक रूप से बहुत बुरा असर डाला। वह छह महीने तक काम नहीं कर पाए। महामारी ने उनकी आय और आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया। उस समय अलग अलग संस्थाएं प्रवासी मजदूरों और अन्य हाशिए के समुदायों को खाना बांटा करती थीं। उनकी फैमिली इन संस्थाओं द्वारा बांटे जाने वाले राशन और खाने पर निर्भर थी। । कुछ समय बाद ही , वह अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव की यात्रा पर निकल गए।

जब लॉकडाउन हटा तो उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। उनके दो बच्चे हैं, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। उनमें से एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है और दूसरा डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) से पीड़ित है।

उनका वेंडर्स सर्वे में नाम है और वह सारे जरूरी दस्तावेज और वेंडिंग करने का प्रमाण रखते हैं । इसके बावजूद उन्हें अक्सर पुलिस और एमसीडी अधिकारी परेशान करते हैं। एक समय ऐसा आया कि वह अधिकारियों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने दिल्ली छोड़कर अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। वह याद करते हैं कि किसी ने उनकी शिकायतें नहीं सुनीं। महामारी के समय शिकायत दर्ज करना एक कठिन कार्य था। उनका यह भी कहना है कि शिकायतों को दूर करने और उसके निवारण के लिए एक उचित प्रणाली की आवश्यकता है।

---

14. नाम: श्री शंकर प्रसाद (तंबाकू पदार्थ बेचते हैं)

उम्र: 62 साल

परिवार: 5 सदस्य हैं ।

शंकर प्रसाद प्रवासी हैं । वह छपरा बिहार से हैं । वह दिल्ली में अकेले रहते हैं। उनके पांच बच्चों सहित उनका परिवार बिहार में रहता है। महामारी से पहले वह सब्जियां बेचते थे। हालाँकि अब, उन्होंने नारायणा फ्लाईओवर के नीचे तंबाकू का सामान बेचने का सहारा लिया है।

संकट : आजीविका और आर्थिक हानि

जब महामारी की लहर आई , तो उनकी दुकान चार महीने तक बंद रही । फिलहाल वह काम कर पा रहे हैं , लेकिन उनकी आय 40% तक गिर गई है । उनका अनुरोध है कि वहां स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जगह आवंटित की जाए ताकि उन्हें पुलिस और एमसीडी अधिकारियों को रिश्वत ना देनी पड़े।

कर्ज :

महामारी के समय उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने 70,000 रुपए उधार लिए ।

उन्होंने 10,000 रुपये का पीएम स्वनिधि लोन भी लिया है. जब उन्होंने पुनर्भुगतान पूरा कर लिया, तो उन्होंने 20,000 रुपये का एक और ऋण लिया।

उनका सर्वे किया जा चुका है और उनके पास वेंडिंग के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज हैं।

ज्वाला नगर, दिल्ली

15.नाम: श्री सुरेश कुमार (मसाला बेचते हैं)

उम्र: 63 साल

सुरेश कुमार 48 साल से स्ट्रीट वेंडर हैं। महामारी की पहली लहर के दौरान, उनकी दुकान पूरी तरह से बंद हो गई और सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। इस दौरान पुलिस और एमसीडी अधिकारियों ने बिना किसी विशेष कारण के मनमाने तरीके से चालान काटे। कुछ वेंडर्स थाने के सामने एकत्र हो गए और बेतरतीब ढंग से चालान काटे जाने पर सवाल उठाया।

संकट: आजीविका और वित्तीय हानि, उत्पीड़न

उन्होंने वेंडर्स को परेशान किया और श्री सुरेश कुमार और अन्य को दो दिनों तक गिरफ्तार किया और प्रताड़ित किया। इन दो दिनों के दौरान, श्री सुरेश ने अपनी दुकान में 2,50,000 रुपये कीमत का सामान और मसाले खो दिए। उन्होंने अपनी सारी आय खो दी और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उन्हें 1,10,000 रुपये उधार लेने पड़े। बाद में उन्होंने पुलिस उत्पीड़न के संबंध में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पास शिकायत दर्ज कराई। डीसीपी ने हस्तक्षेप किया और पुलिस को वेंडर्स को परेशान ना करने के सख्त आदेश जारी किए।

वेंडिंग से होने वाली उनकी आय में 75% तक गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि महामारी से पहले बाजार में 160 से अधिक वेंडर्स हुआ करते थे। लेकिन अब, केवल 60-70 दुकानें हैं।

उनका सर्वे किया गया है लेकिन अधिकारियों से वेंडिंग का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। उन्होंने उनसे कई बार संपर्क किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

16.नाम: श्री राम चरण (खाना बेचते हैं)

उम्र: 57 साल

राम चरण उत्तर प्रदेश के प्रवासी हैं और 15 वर्षों से स्ट्रीट वेंडर रहे हैं। उनके पास अपने मूल स्थान पर कोई जमीन नहीं है और उनकी आय का एकमात्र स्रोत वेंडिंग है।

संकट: आजीविका हानि, उत्पीड़न

विधायक श्री रामनिवास गोयल के निर्देश पर पुलिस और एमसीडी अधिकारियों ने उनकी दुकान से सभी बर्तन यह कहकर जब्त कर लिए कि वह सरकारी जमीन पर दुकान लगा रहे हैं और झंडारोहण वहीं किया जाएगा जहां उनकी दुकान है। जब उन्होंने अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए विधायक से मुलाकात की, तो विधायक ने उनसे कहा कि 'बाहर निकल जाओ, किसी भी वेंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।' श्री राम कहते हैं कि वह एक दलित हैं और उनके समुदाय के लोग उनकी दुकान पर आते थे। एक समय था जब "आप पार्टी" के कार्यकर्ता उन्हें निशाना बनाते थे। और उन्होंने महामारी के दौरान श्री राम चरण को बेदखल करने का अवसर देखा। उनका मानना है कि पार्टी का समर्थन या प्रशंसा न करने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया।

जब लॉकडाउन हटा तो उन्होंने किसी तरह फिर से वेंडिंग शुरू कर दी। लेकिन 10 जनवरी, 2022 को एमसीडी और पुलिस अधिकारियों ने उनका स्कूटर, गैस सिलेंडर, गाड़ी आदि जब्त कर लिया। उन्हें कुल 1,70,000 रुपये का नुकसान हुआ।

कर्ज:

आजीविका छिन जाने के कारण उन्हें 4,00,000 रुपये का कर्ज लेना पड़ा। वह ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है.

17.नाम: श्री ओमपाल (चाय, छोले, कुलचा आदि बेचते हैं)

उम्र: 42 वर्ष

परिवार: पांच सदस्य

2020 में, न्यायाधीश श्रीमती रेखा रानी ने एमसीडी से मुकदमे में कियोस्क के लिए स्थाई जगह आवंटित करने का आदेश दिया। हालाँकि, 25 अगस्त 2022 को एमसीडी ने माननीय न्यायालय के आदेश को ठुकरा दिया और कियोस्क को ध्वस्त कर दिया। श्री ओमपाल के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जैसे आवश्यक प्रमाणपत्र हैं।

संकट: आजीविका और वित्तीय हानि

विध्वंस से पहले, वह प्रति माह 6,000 रुपये कमाते थे। वह एक टीवीसी सदस्य हैं और अपने साथी वेंडर्स के शोषण और जबरन वसूली और पुलिस और एमसीडी अधिकारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनका मानना है कि इसी वजह से उन्हें अधिकारियों ने निशाना बनाया। उनके चार बच्चे हैं और उनकी दुकान ध्वस्त हो जाने के बाद उनकी सारी आय खत्म हो गई। उन्होंने अपने बच्चों के शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए अपने माता-पिता से पैसे उधार लिए। उन्होंने महामारी के दौरान अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कुल 2,00,000 रुपये उधार लिए। अब वह अपने परिचित छोटे स्रोतों से ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त करके अपना गुज़ारा करते हैं। हालाँकि, इससे होने वाली आय उनके परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

18.नाम: श्री इमरान (चिकन रोस्ट बेचते हैं)

उम्र: 27 साल

परिवार: चार सदस्य

इमरान ने बी.कॉम की पढ़ाई पूरी की लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। और इसलिए, वह अपनी माँ के नक्शेकदम पर चलते हुए एक स्ट्रीट वेंडर बन गए।

संकट: आजीविका और वित्तीय हानि, उत्पीड़न, बच्चों की शिक्षा

महामारी के दौरान उनकी दुकान करीब दो साल तक बंद रही ।उनके परिवार को भोजन की कमी और आय की कमी का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन हटने के बाद वह अपना काम फिर से शुरू करने में कामयाब रहे लेकिन पुलिस और एमसीडी अधिकारियों ने उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी। उन्हें अपनी दुकान को विवेकपूर्वक चलाने के तरीके खोजने थे। हाल ही में 29 मार्च 2023 को पुलिस ने उन्हें वेंडिंग करते हुए पकड़ लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया । उन्होंने पुलिस से कहा कि वह उपवास कर रहे हैं और उन्हें उन पर कुछ दया दिखानी चाहिए, जिसके जवाब में अधिकारियों ने उसका मजाक उड़ाया और उनसे अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए अपने भगवान की दया मांगने को कहा। पुलिस की पिटाई से उनके पैर की हड्डियां टूट गईं.

इमरान ने अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए 2,50,000 रुपये का कर्ज लिया। उनके दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 6 और 4 साल है। वे वित्तीय संकट के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं। एमसीडी की ओर से उनका सर्वे नहीं किया गया है।

19.नाम: सुश्री धनवती (सब्जियां बेचती हैं)

उम्र: 40 साल

धनवती 19 वर्षों से अधिक समय से स्ट्रीट वेंडर रही हैं और उनका एक स्टॉल (रेड़ी) भी है। लॉकडाउन की घोषणा के अगले दिन, पुलिस ने बाजार के प्रवेश और निकास द्वार को सील कर दिया। जब बाज़ार बंद था, तो वह समय-समय पर स्थान बदलकर, सड़कों पर सब्जियाँ बेचती थी। उनका सामान कभी जब्त नहीं किया गया लेकिन उसे कई बार फेंक दिया गया।

संकट: वित्तीय हानि और उत्पीड़न

महामारी के दौरान, वह पुलिस लाठीचार्ज के परिणामस्वरूप घायल हो गईं थी। महामारी से पहले, वह प्रति दिन 1,000 रुपये कमाती थी। अब, वह प्रतिदिन मुश्किल से 200 रुपये कमा पाती हैं।

एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले उनके बच्चों ने लगभग एक साल तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी। उनका सर्वे किया गया है और उनके पास वेंडिंग के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज हैं।

---

20. नाम: सुश्री हीना (मछली बेचती हैं)

उम्र: 28 साल

परिवार: तीन सदस्य

हीना तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं और जब वह छोटी थी तब उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया था। वह अपने परिवार की देखभाल कर रही हैं और उन्होंने अपने बड़े भाई और बहन दोनों की शादी कर दी है। उनका भाई भी एक वेंडर है।

संकट: आजीविका और वित्तीय हानि, उत्पीड़न

लॉकडाउन के दौरान, उन्हें चुपचाप तरीके से मछली बेचनी पड़ी क्योंकि उनके घर पर खाना नहीं था।

एक बार लॉकडाउन हटने के बाद, उन्होंने बाज़ार में अपना काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन एमसीडी अधिकारी आ जाते थे और उन्हें मौखिक रूप से परेशान करते थे। वह बाजार तक पहुंचने के लिए दो घंटे से अधिक समय तक यात्रा करती हैं और रास्ते में पुलिस द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जाता है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हाल ही में एमसीडी कमेटी के कुछ लोगों ने उनकी मछली जब्त कर ली, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये थी और उनके साथ मारपीट भी की । उन्हें सरकार या गैर सरकारी संगठनों से कोई मदद नहीं मिली है।

तीन साल पहले, उनके सहित कुछ वेंडर्स को घर देने का वादा किया गया था। उन्होंने 1,40,000 रुपये जमा किए, और हालांकि उन्हें द्वारका में एक घर आवंटित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी घर नहीं मिला। वह अभी भी किराए के घर में रहती हैं जहां वह प्रति माह 8,000 रुपये किराया देती हैं ।

उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद श्री पंकज लूथरा बाजार से मछली और मांस को हटाना चाहते हैं और उन्होंने बाजार में नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भी बैठा दिया है। उनसे बचने के लिए उन्हें लगातार इधर उधर होकर अपनी दुकान चलानी पड़ी।

उनका सर्वे किया गया है और उनके पास वेंडिंग के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज हैं।

कर्ज :

उन पर 10,00,000 रुपये का कर्ज है और वह इसे चुकाने में सक्षम नहीं है।

21.नाम: सुश्री मंजू कश्यप

उम्र: 60 साल

परिवार : चार सदस्य हैं ।

मंजू कश्यप 8 साल से स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहीं हैं। लॉकडाउन के समय उनकी दुकान 3 महीने तक बंद थी । उन्होंने अपने घर का खर्चा विभिन्न घरों में जाकर घरेलू मदद करके चलाया । कुछ मामलों के विपरीत , उनके मकान मालिक ने उन्हें परेशान नहीं किया जब उन्हें किराया देने में देरी हुई । हालंकि एमसीडी और पुलिस आधिकारियों द्वारा उनके सामान को कभी जब्त नहीं किया गया , लेकिन कई बार उन्हे डराने के लिए उनके सामानों को फेंका जरूर गया । महामारी के बाद से , उनकी आय में भारी गिरावट आई है। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए कई जगहों से लोन लिया । उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई और उन्हें अपने बेटे की पत्नी और दो लड़कियों की देखभाल करनी पड़ी । एक लड़की जो 6 वीं कक्षा में है , वह ऑनलाइन क्लास अटेंड नही कर पाई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था। उन्हें एनजीओ या सरकार से कोई मदद नहीं मिली । उनके पास राशन कार्ड न होने से वह राशन भी प्राप्त नहीं कर पाईं। उनका सर्वे किया गया है और उनके पास वेंडिंग के लिए जरूरी सारे दस्तावेज मौजूद हैं । हालांकि, उनका एलओआर वेंडिंग सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ है ।

22.नाम: श्री मंसाराम (कुल्फी , फल , मूंगफली आदि बेचते हैं)

परिवार : 4 सदस्य हैं

मंसाराम 30 सालों से स्ट्रीट वेंडर हैं। महामारी की पहली लहर के दौरान , उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया जब उन्होंने अपने सामान को बेचने की कोशिश की तो उनके सामान को भी फेंक दिया गया । इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए वेंडिंग करना छोड़ दिया । उनके दो बच्चे हैं : एक कक्षा 9वीं और एक कक्षा 12वीं में।

संकट: आजीविका और वित्तीय हानि , उत्पीड़न , भेदभाव

एक दिन , महामारी की दूसरी लहर के समय , वह अपने काम पर आचनक गिर पड़े और मूर्छित हो गए । उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया । और उन्हें उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल जाने पर विवश किया गया । अस्पताल में उनका माइग्रेन का इलाज हुआ , उपचार का खर्चा उनकी क्षमता से कहीं अधिक था , क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं था। उनके ठीक होने के बाद , साहूकारों ने उनका पैसा मांगना शुरू कर दिया , और उनके पास सस्ते दाम में अपने घर को बेचने के अलावा कोई उपाय नहीं था । लोन कार्ड होने के बावजूद , जब भी वह बैंक के पास राहत के लिए गए तो बैंक मैनेजर ने उन्हें बर्खास्त कर दिया । उन्होंने यह भी बताया कि राशन की दुकान (पीडीएस) पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें एनजीओ और सरकार से कोई मदद नहीं मिली ।

कर्ज :

उन्हें साहूकारों से अपने अस्पताल/ उपचार , और घर के खर्चे , और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन लेने हेतु 8,00,000 का लोन लेना पड़ा। उनका सर्वे हो गया है और उनके पास वेंडिंग के लिए जरूरी सारे दस्तावेज़ मौजूद हैं ।

The PMSVANidhi was announced on 1 June 2020, and since then, it took two years for the Union Ministry of Housing and Urban Affairs to identify 49.48 lakh street vendors as per their report released in February 2022. On 5 Dec 2023, the Ministry stated that the beneficiaries of the scheme totalled 56.58 lakh street vendors, and just two months later, in February 2024, the Finance Minister proudly announced in the interim budget that 78 lakh street vendors have benefited from the scheme.

The question that needs asking here is where the numbers are being sourced from—30 lakh extra people who benefitted from the scheme in a span of two years from 2022 to 2024—when it took the Ministry two years, from the announcement of the scheme in 2020, to simply identify the total number of street vendors. When the math doesn't add up, who is lying then? The Finance Minister, the Housing Minister or the data itself? With General Elections knocking on the country's door, it is hardly surprising that these tall claims, backed by no solid, verifiable data or basis, are being made.

Hawkers Joint Action Committee

hawkersjac@gmail.com

Peoples' Commission and Public Inquiry Committee

peoplescommission2021@gmail.com

/covidtruths

covidtruths.in